[2019] 16 एस. सी. आर. 811

मृणालिनी पाधी

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) No.649)

नवंबर 04,2019

मिश्रा, एम. आर. शाह और

[अरुण

एस. रवींद्र भाट, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कला. 32 - याचिका-के तहत-के 'रत्न भंडार' की चाबियाँ गायब होने की जांच/जांच के लिए निर्देश की मांग

' श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी '-के लिए भी निर्देश मांगा गया

मंदिर की संपत्ति और कीमती वस्तुओं के संरक्षण और प्रबंधन के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति-मंदिर में आने वाले भक्तों को व्यक्त दर्शन प्रदान करने के लिए भी प्रार्थना की गई-सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 8.6.2018 के आदेश द्वारा जिला को निर्देश दिया

न्यायाधीश न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे-जिला न्यायाधीश की दिनांकित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया और न्यायालय द्वारा अधिक निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा न्यायमित्र ने समय-समय पर न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। याचिका के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने तीर्थयात्रियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया-जगद्गुरु द्वारा भी सुझाव दिए गए थे।

शंकराचार्य '-आयोजितः पूरी तरह से कुशासन और अराजकता है-कोई अनुशासनात्मक नियंत्रण उपलब्ध नहीं है-मुख्य प्रशासक को अभी इसके खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है। ऐसे सेवक/पदाधिकारी जो सेवा/पूजा/नीति में बाधा उत्पन्न करते हैं और उनके खिलाफ दुर्व्यवहार और कदाचार में शामिल होते हैं।

मंदिर प्रशासन के कर्मचारी या भक्तों के साथ

मंदिर प्रबंधन समिति को श्रीमद को आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया है

जगद्गुरु शंकराचार्य और अन्य हितधारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियत समय पर, नियमित रूप से, बिना किसी बाधा के पूजा और अनुष्ठान किए जाएं-पारंपरिक अनुष्ठानों और अनुष्ठानों में योग्य सेवकों की आवश्यकता है-बचे हुए लोगों के आर्थिक कल्याण का ध्यान रखने की आवश्यकता है-उचित दर्शन प्रदान

करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है-तीर्थयात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है-मंदिर प्रशासन और मंदिर पुलिस

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि-पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए

सेवाकर्ता और कर्मचारी-बच्चों के लिए स्कूल, तीर्थयात्रियों के लिए आवास, अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने की भी आवश्यकता है।

और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय, क्लोक रूम, मोटरसाइकिल स्टैंड-मंदिर प्रबंधन समिति और मंदिर प्रशासन को भी स्वच्छता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।

रोसाघर जहाँ भोजन के लिए भोग तैयार किया जाता है और प्रसाद की स्वच्छ बिक्री-सेवा/पूजा के उप-पट्टे को भी प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होती है, मंदिर की अचल संपत्ति के संबंध में सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाता है-मंदिर प्रबंधन को स्थान देने का निर्देश दिया जाता है

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि उसने मंदिर की कीमती वस्तुओं के संबंध में किस तरह की सूची तैयार की है-राज्य सरकार को पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जाता है-भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भी सहयोग करने और सुधार की गतिविधियों की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है-प्रगति रिपोर्ट और लिए गए निर्णय

उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

सारिका वी. प्रशासक, श्री महाकालेश्वर मंदिर

समिति, उज्जैन, एम. पी. और अन्य। , (2018) 6 स्केल 651

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2018) 6 स्केल 65

संदर्भित किया गया है

पै

रा 1

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

649 2018 से।

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

के साथ लिखित

याचिका (सिविल) संख्या 1094 में 2019 की एम. ए. संख्या 2053 और 2131

2019 से।

रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। (ए. सी.) तुषार मेहता, एस. जी. , अशोक परिजा, ए. जी., आर. बालासुब्रमण्यम,

मोहन परासरन, पी. सी. मिश्रा, सुश्री प्रिया हिंगोरानी, एस. के. पाधी, सीनियर। अधिवक्ता। , नलिन कोहली, शिबाशीष मिश्रा, सुश्री जन्मेजा कातिकिया, अंशुल

गुप्ता, सचिन शर्मा, ए. के. शर्मा, राज बहादुर, गौरव खन्ना, एस. देबब्रत रेड्डी, सुविदत्त एम. एस., सुश्री अनु बी., जे. साई दीपक,

आर. एम. पटनायक, हिमांशु यादव, कुश चतुर्वेदी, प्रभु प्रसन्ना बेहरा, सुश्री निर्मल्या मोहंती, सुश्री कल्पतरु खूंटिया, कलियुग

हरेकृष्ण, शुभेंदु सुभाशीष दास, अशोक पाणिग्रही, अनमोल तायल, मृणालिनी पाधी बनाम।

भारत और अन्य का संघ

एस. विनय रत्नाकर, नवाब सिंह, सुरेंद्र देसवाल, बृजिंदर सिंह लूंबा, जसमीत सिंह, अमृतपाल सिंह खालसा, ए. के. मेहता, सुश्री नीना सिंह, साहिल ए. गर्ग, मनीष तंवर, तुषार छाबड़ा, श्वेतकेतु मिश्रा, संजय के. दास, वी. के. मोंगा, देबाशीष मिश्रा, विशाल एस. जोगदंड, सुहास कदम, श्रेयस गाचे, पॉल कनकराज, जगदेव, सुश्री परीना स्वरूप, सुश्री नानिता शर्मा, डॉ. सनातन रे चौधरी, सुश्री अल्पना शर्मा, आर. शरत, मानव, रजनीश कुमार, चौधरी। प्रकाश मेहरोत्रा, रामेंद्र मोहन पटनायक, अमरेंद्र कुमार मेहता, राधा श्याम जेना, लक्ष्मी रमन सिंह, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

अरुण मिश्रा, जे.

1. यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है।

भारत के लापता होने की जांच/जांच का निर्देश देने के लिए

श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी के रत्न भंडार की चाबियाँ। यह.

यह भी प्रार्थना की गई है कि भंडारित मूल्यवान वस्तुओं की एक सूची

पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को ले जाया जाए और निर्देशित किया जाए

श्री की संपत्ति और बहुमूल्य वस्तुओं के संरक्षण और प्रबंधन के लिए इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति।

जगन्नाथ मंदिर। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को एक्सप्रेस दर्शन प्रदान करने के लिए भी प्रार्थना की गई है।

रिलायंस को सारिका बनाम मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया है।

प्रशासक, श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति, उज्जैन,

एम. पी. & ओआरएस. , 2018 (6) स्केल 651 (2018 की सिविल अपील No.4676)।

2. याचिका पर विचार करते हुए, इस अदालत ने 8.6.2018 पर एक आदेश पारित किया है, जिसमें जिला न्यायाधीश, पुरी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बाद में, 5.7.2018 दिनांकित आदेश, 8.6.2018 दिनांकित आदेश के अलावा, कुछ

अधिक निर्देश जारी किए गए और उनका सारांश इस प्रकार दिया गयाः

" 19. हम आज के आदेशों में अपने निर्देशों को जोड़ सकते हैं, इसके अलावा

दिनांकित 8.6.2018 आदेशों के लिए, निम्नानुसारः

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

i) जिला न्यायाधीश की दिनांकित 26.6.2018 की रिपोर्ट स्वीकार की जाती है।

सिद्धांत रूप में और मंदिर द्वारा की जाने वाली कार्रवाई प्रशासन।

(ii) जिला न्यायाधीश, पुरी आगे की रिपोर्ट, यदि कोई हो, भेज सकते हैं।

31.8.2018 , अधिमानतः ई-मेल द्वारा।

(ख) राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है।

इसके द्वारा 31.8.2018 पर या उससे पहले गठित समिति।

iv) केंद्र सरकार आज से दो सप्ताह के भीतर अपनी समिति का गठन कर सकती है, जैसा कि पहले ही निर्देश दिया जा चुका है और अपनी अंतरिम रिपोर्ट को इस न्यायालय के रिकॉर्ड पर या उससे पहले रख सकती है।

v) जिला न्यायाधीश की रिपोर्ट की प्रति मंदिर प्रबंधन, मंत्रालय की वेबसाइटों पर रखी जा सकती है।

उच्चतम न्यायालय की संस्कृति और वेबसाइट दो के लिए सप्ताह।

vi) 8.6.2018 के क्रम में दिए गए निर्देश इस प्रकार हो सकते हैं -

सभी संबंधितों द्वारा अनुपालन और उसके गैर-अनुपालन की सूचना इस न्यायालय को उचित के लिए दी जा सकती है।

यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई करें।

(ii) मंदिर प्रबंधन विचार कर सकता है, बशर्ते कि -

ड्रेस कोड के संबंध में नियामक उपाय, एक उचित घोषणा देना या अन्य निर्देशों का पालन करना, प्रत्येक आगंतुक को उसकी आस्था के बावजूद, देवता को सम्मान देने और प्रसाद चढ़ाने की अनुमति देना।

(iii) हमने ध्यान दिया है कि हिंदू धर्म किसी को भी समाप्त नहीं करता है।

अन्य विश्वास और शाश्वत विश्वास और ज्ञान है और

सदियों की प्रेरणा, जैसा कि पहले के निर्णयों में उल्लेख किया गया है

यह न्यायालय।

ix) आगंतुकों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयाँ, प्रबंधन में कमियाँ, स्वच्छता का रखरखाव, प्रसाद का उचित उपयोग और मंदिरों के संबंध में संपत्तियों की सुरक्षा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, न केवल राज्य सरकार, केंद्र सरकार के लिए बल्कि अदालतों के लिए भी विचार का विषय है। पूरे भारत में प्रत्येक जिला न्यायाधीश स्वयं या अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी न्यायालय के माध्यम से ऐसे मामलों की जांच कर सकता है और एक रिपोर्ट एम. आर. आई. एन. एल. आई. पी. ए. डी. आई. v. भेज सकता है।

संबंधित उच्च न्यायालय को ताकि ऐसी रिपोर्ट दी जा सके न्यायिक पक्ष में पी. आई. एल. के रूप में माना जाता है और ऐसा निर्देश जारी किया जा सकता है जिसे आवश्यक माना जा सकता है

व्यक्तिगत तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए।

x) सीखा हुआ न्यायमित्र सभी के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र है

हितधारकों को सुधार लाने के लिए सुझाव देना और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट देना। हालांकि, यह राज्य सरकार की समिति, केंद्र की समिति के रास्ते में नहीं आएगा।

सरकार या मामलों पर विचार करने वाला कोई जिला न्यायाधीश

उपरोक्त दिशाओं के संदर्भ में "।

3. इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से श्री रंजीत को नियुक्त किया है।

न्यायमित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री प्रिया हिंगोरानी से इस मामले में उनकी सहायता करने का अनुरोध किया गया था। विद्वान न्यायमित्र ने इसके अनुसरण में अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है

जो आदेश इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किए गए हैं। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने कुछ भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है ताकि विभिन्न प्रावधान किए जा सकें।

तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं जैसे कि वॉच टावर का निर्माण, निकासी योजना, सड़कों को चौड़ा करना आदि। राज्य सरकार का एक मंत्रिमंडल

उड़ीसा ने एक निर्णय लिया है, जिसे 27.8.2019 पर राजपत्रित किया गया है।

इसके बाद, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, कुछ समय के लिए अशांति थी जिसे सुलझा लिया गया है। हमने न्यायमित्र से स्थल का दौरा करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

4. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और विभिन्न रिपोर्टों पर विचार किया है। हमें यह दर्ज करते हुए खुशी हो रही है कि

बार में उपस्थित विद्वान वकील ने संतोष व्यक्त किया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांकित 27.8.2019 प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

इन आरईः जिला न्यायाधीश, पुरी की रिपोर्ट

5. पुरी के जिला न्यायाधीश ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

8.6.2018 दिनांकित आदेश के अनुसार विभिन्न दस्तावेज। निम्नलिखित अनुलग्नक दाखिल किए गए हैंः

" अनुलग्नक

ए-I श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी का रेखाचित्र मानचित्र।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

श्री जगन्नाथ में विभिन्न स्थानों का ए-II रेखाचित्र मानचित्र

मंदिर, पुरी।

-श्री में यहूदियों के दर्शन की पांच पंक्तियों के संकेत के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर का तीसरा रेखाचित्र मानचित्र

जगन्नाथ मंदिर।

B. प्रस्तावित और मौजूदा C.C.T.V. कैमरे।

ग. सेवकों के खिलाफ मामलों की सूची।

डी. श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी में स्वीकृत पद का विवरण, वर्तमान संख्या और रिक्ति की स्थिति

मार्च 2018।

ई. श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी का निधि प्रबंधन।

एफ. अप्रैल की अवधि के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी के खातों की महालेखाकार, ओडिशा की लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

2009 सितंबर, 2015 तक।

जी पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर (प्रशासन) के तहत तैयार किए गए अभिलेख-के-अधिकारों के प्रासंगिक उद्धरण

अधिनियम, 1952 भाग-I और भाग-II।

एच. सेवकों और पालिया पुरस्कारों की सूची।

जे. श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हुंडी की संख्या

परिसर, पुरी।

के. श्री जगन्नाथ मंदिर की रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण

प्रशासन सुधार समिति।

न्यायमूर्ति बी. के. पात्रा, पूर्व न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा जांच आयोग की रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण।

एम. माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. के.

मोहंती, जांच आयोग।

एन. श्री के मामलों में जांच आयोग की दिनांकित 20-04-2017 की अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिशें

जगन्नाथ मंदिर, पुरी।

पी. पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर (प्रशासन) अधिनियम,

1952 .

प्र. श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1954। ”

6. महालेखाकार, ओडिशा की लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी निम्नलिखित विभिन्न पहलुओं पर अनुलग्नक-एफ के रूप में दाखिल की गई है:

1. निधि प्रबंधन;

2. संपत्ति प्रबंधन;

3. परियोजना प्रबंधन;

4. वित्तीय प्रबंधन;

5. सहायता अनुदान का उपयोग;

6. अवास्तविक बजट;

7. में फुलाया हुआ उपयोग प्रमाण पत्र (यू. सी.) प्रस्तुत करना

वास्तविक व्यय की अधिकता;

8. अनुबंध प्रबंधन;

9. मानव संसाधन प्रबंधन;

10. आभूषणों के बारे में विविध अवलोकन और

आभूषण, परिसंपत्ति रजिस्टर का गैर-रखरखाव, सहायक रजिस्टरों का गैर-रखरखाव, श्री के मामलों के प्रशासन पर रिपोर्ट तैयार न करना

जगन्नाथ मंदिर आदि। ; और

11. लेखापरीक्षा की सीमा

7. अनुलग्नक-के मंदिर के सुधार के लिए उड़ीसा राज्य के पूर्व राज्यपाल श्री बी. डी. शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट है जिसमें तीर्थयात्रियों के लिए आवास और अन्य सुविधाओं सहित कुछ सिफारिशें की गई हैं। यह सिफारिश की गई थी कि 60,000 तीर्थयात्रियों के लिए आवास प्रदान किया जाना चाहिए

मंदिर प्रशासन। शुरुआत के लिए, 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए आवास जल्द से जल्द प्रदान किया जाना चाहिए। प्रबंधन के संबंध में

मंदिर की मौजूदा संपत्तियों और आय में वृद्धि के लिए अध्याय 3 में कुछ सिफारिशें की गई थीं। सेवापूजा, नितियों की नियुक्ति के संबंध में भी सिफारिशें की गई हैं।

सेवकों और उनकी सेवा की शर्तें और सहायक मंदिर। भाग III में तीर्थयात्रियों और भक्तों के लिए आवास और अन्य सुविधाओं के बारे में सिफारिशें की गई थीं। यह सिफारिश की गई थी कि

60, 000 तीर्थयात्रियों के लिए आवास मंदिर प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए और शुरुआत में 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए आवास, [2019] 16 एस. सी. आर.

इसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अधिकारों और दैनिक निटियों के रिकॉर्ड के आयात के संबंध में, सिफारिशें की गईं

अध्याय XXIII और XXIV क्रमशः। नितिस के प्रदर्शन में देरी का मुख्य कारण और उसके लिए उपाय अध्याय XXV में बताया गया था। कोठा भोग की तैयारी में कुछ अनियमितताओं को अध्याय XXVI में निपटाया गया था। अध्याय XXVII में, यह था

यह सिफारिश की गई कि मंदिर को रोसाघर ओवन पर कब्जा कर लेना चाहिए। नितियों को रोकने वाले विवादों की कुछ प्रकृति का उल्लेख अध्याय XXVIII में किया गया है। सेवकों की आर्थिक स्थिति और उनकी संख्या को कम करने का उल्लेख अध्याय XXIX में किया गया था। पूजा प्रणाली और नितियों के प्रदर्शन में सुधारों के संबंध में पहलू पर रिपोर्ट के अध्याय XXXI में चर्चा की गई थी। के संबंध में

प्रबंध समिति का गठन, अध्याय XXXII में कुछ सिफारिशें की गई थीं। प्रशासक की नियुक्ति पर अध्याय XXXIII में चर्चा की गई थी। सर्बसाधरन दर्शन और कतार प्रणाली पर अध्याय XXXV में चर्चा की गई थी। परमानिक दर्शन और विशेष सेवाओं पर अध्याय XXXVII में चर्चा की गई थी। मंदिर की आय बढ़ाने के सुझावों पर अध्याय XXXVIII में चर्चा की गई थी। में रिपोर्ट में परिवहन, डेयरी फार्म, अन्य अधिकारों और संपत्तियों के पट्टे, पुरी जिले के बाहर और उड़ीसा राज्य के बाहर स्थित भगवान जगन्नाथ की भूमि और भवनों का भी उल्लेख किया गया था। सेवकों के प्रशिक्षण, स्वच्छता, प्रचार आदि के संबंध में अध्याय XXXIX में कुछ अन्य सुझाव दिए गए थे। अध्याय XL में, सिफारिशों का सारांश दिया गया था, जो इस प्रकार हैः

" अध्याय XL

सिफारिशों का सारांश

257. चर्चा कर्मचारियों द्वारा अपने पाली दिवस पर सेवकों को बुलाने की प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। यदि संबंधित पालिया सेवकों को उस दिन सूचना दी जाए तो यह पर्याप्त होगा।

पूर्ववर्ती (अध्याय 24)।

258. चार मुख्य धूपों के समय सुआर को कोई भी बरादी या बिकरी भोग चढ़ाने से रोका जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए, मेर्डा रोसो को चालू किया जाना चाहिए और कोठा भोग की तैयारी के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। भोग बाटा में एक सुविधाजनक स्थान पर एक संकुचित द्वार लगाया जाना चाहिए और वह पूरे समय बंद रहना चाहिए, और भोग मंडप के लिए निर्धारित समय से ठीक पहले खोला जाना चाहिए।

पूजा करें। (अध्याय XXV)।

मृणालिनी पाधी बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

259. इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर जितने भी अतिरिक्त भोग मंडप आवश्यक हों, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(अध्याय XXV)।

263. सुआर निजोग के प्रतिनिधि के साथ उचित चर्चा के बाद और खाद्य पदार्थों की वर्तमान कीमतों और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, मंदिर प्रशासन को आनंद बाजार में बिक्री के लिए उजागर अभादा और अन्य वस्तुओं के अधिकतम बिक्री मूल्य तय करने चाहिए। ऐसी दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाना चाहिए। (अध्याय XXVII) 264. प्रशासन का एक जिम्मेदार अधिकारी सहायक प्रशासक के पद से नीचे नहीं होना चाहिए।

सहान मेले के समय पिंडिका संग्रह पर प्रभावी नियंत्रण रखने और तीर्थयात्रियों के शोषण को रोकने के लिए गंभीरा या तो सेवकों द्वारा या यात्री पांडों द्वारा या धूलिया गुमस्तों द्वारा (अध्याय XXVIII)।

265. प्रशासन और सेवक के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद

या सेवकों या सेवकों के बीच का प्रशासन द्वारा शीघ्र निपटान किया जाना चाहिए। प्रबंध समिति को तुरंत एक अपील उप-समिति का गठन करना चाहिए और वह उप-समिति

समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासक के आदेशों के खिलाफ प्रबंध समिति के समक्ष दायर अपीलों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

निकाल दिया। (अध्याय XXVIII)

266. एक सेवक जो किसी विशेष कार्य में अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहता है। पर्याप्त कारणों के बिना दिन हटाने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। प्रत्येक श्रेणी में सधीबंध सेवकों की संख्या [2019] 16 एस. सी. आर. होनी चाहिए।

जो वास्तव में सेवा नहीं करते हैं उन्हें हटाकर कम किया जाता है। (अध्याय XXVIII)

267. यदि उपरोक्त सिफारिशों को लागू किया जाता है, तो इसकी संभावना है

इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक श्रेणी में दर्ज किए गए कई सावकों को हटा दिया जाता है और केवल वे ही मैदान में रह जाते हैं जो वास्तव में सेवा करते हैं। नतीजतन, शेष सेवकों की पूजा की बारी अधिक होगी और उन्हें प्रति माह जो पारिश्रमिक मिलेगा वह वर्तमान की तुलना में अधिक होगा। अगर इसमें

इसके बावजूद, यह पाया गया है कि नितियों को समय पर नहीं किया जाता है

270. वर्तमान में न तो प्रशासक और न ही सहायक प्रशासक और वास्तव में कुछ अधिकारियों को छोड़कर कोई अन्य अधिकारी नहीं है। सेवकों को रोसो में जाने का अधिकार है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रशासक और सहायक प्रशासकों को, बशर्ते वे ब्राह्मण हों, रोसो में किसी भी प्रचलित कदाचार को रोकने के लिए जाने का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। गोबर्धन पीठ और मुक्ति मंडप पंडित सभा के शंकराचार्य के परामर्श के बाद यदि आवश्यक हो तो इसे लागू किया जाना चाहिए। (अध्याय XXXI)।

271. इसी तरह रथ यात्रा के लिए तीन स्थायी रथ रखने पर कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं प्रतीत होता है।

वहाँ MRINALINI PADhi v हैं। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

इस तरह के स्थायी रथ होने के बहुत सारे फायदे हैं। यह जगतगुरु के साथ आवश्यक परामर्श के बाद किया जाना चाहिए।

शंकराचार्य और मुक्ति मंडप पंडित सभा के सदस्य इस मामले में जनमत पर उचित ध्यान देने के बाद। (अध्याय XXXI)।

272. प्रबंध समिति में 10 सदस्य होने चाहिए, अर्थात् -

1. पुरी के राजा, जिन्हें अध्यक्ष होना चाहिए।

2. पुरी के कलेक्टर, जिन्हें उपाध्यक्ष होना चाहिए।

3. प्रशासक।

4. बंदोबस्ती आयुक्त।

5. गोवर्धन पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य या यदि वे उपलब्ध नहीं हैं तो संप्रदाय के कोई अन्य संन्यासी।

6. पटजोसी महापात्रा या उनकी अनुपस्थिति में व्यक्ति

इस तरह से काम करना।

7. तीन व्यक्ति जो सीखने के लिए समर्पित हैं।

8. भगवान जगन्नाथ के पंथ के लिए।
9. राज्य सरकार द्वारा नामित।

10. व्यक्तियों से मिलकर बने सलाहकार निकाय का एक नामित व्यक्ति

जो फाउंडेशन फंड के लिए 5 लाख रुपये या उससे अधिक का दान करते हैं

मंदिर से।

गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति का कार्यकाल होना चाहिए

तीन साल। प्रबंध समिति को किसी भी विशेष बैठक के लिए सह-चयन करने की शक्ति दी जानी चाहिए, कोई भी सेवक या सेवक जिसकी उपस्थिति समिति द्वारा आवश्यक या वांछनीय मानी जाती है।

(अध्याय XXXII)।

किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह है अधिकारी का उचित चयन। न केवल उसे प्रशासनिक रूप से होना चाहिए मजबूत लेकिन उसके पास एक धार्मिक प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, और वह जो मंदिर के मामलों के प्रशासन में खुद को पूरी तरह से शामिल कर सके। प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की न्यूनतम अवधि पाँच वर्ष होनी चाहिए। (अध्याय XXXIII)।

274. सहायक प्रशासकों की नियुक्ति में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। तीन सहायक होने चाहिए।

प्रशासकों में से एक राजस्व का प्रभारी बना रहेगा प्रशासन, कार्यालय और प्रतिष्ठान; दूसरा विशेष रूप से नितियों के प्रभारी बने रहने के लिए और तीसरा प्रभारी

मंदिर के अंदर विकासात्मक कार्य और अनुशासन। सहायक प्रशासकों की नियुक्ति की अवधि भी पाँच वर्ष (अध्याय XXXIII) होनी चाहिए।

275. जैसा कि प्रशासक को उड़ीसा प्रशासनिक सेवा से लेने का प्रस्ताव है, वर्ग (1) राजनीतिक द्वारा नियंत्रित

& सेवा विभाग और सहायक प्रशासकों को उड़ीसा प्रशासनिक सेवा से लेने का प्रस्ताव है।

राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित, एक परंपरा विकसित होनी चाहिए

276. के अधीन प्रशासक में निहित अनुशासनात्मक शक्ति अधिनियम काफी पर्याप्त हैं। लेकिन ऐसी शक्तियों के प्रयोग की गारंटी देने के लिए असंख्य अवसर होने के बावजूद, नहीं

प्रशासक ने अब तक ऐसा इस डर के कारण किया है कि इस तरह की कार्रवाई से हड़ताल हो सकती है, इस मामले में जनता के साथ-साथ

अपने सीमित कार्यकाल के दौरान किसी न किसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से मामलों का प्रबंधन करते हैं। प्रशासक को मंदिर के मामलों के प्रशासन में प्रभावी बनने में सक्षम बनाने के लिए, उसे न केवल इस तरह के प्रबंधन के लिए उसे खुली छूट दी जानी चाहिए, लेकिन उसे सरकार द्वारा यह भी आश्वासन दिया जाना चाहिए कि जब तक वह सही दिशा में काम करेगा, तब तक उसकी कार्रवाई का समर्थन किया जाएगा, चाहे कोई भी अप्रिय बात क्यों न हो।

परिणाम, जो सामने आ सकते हैं। (अध्याय XXXIV)

277. पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम की धारा 21-ए में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि किसी सेवक के निलंबन का प्रावधान किया जा सके।

उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करना और उसका निपटारा करना। (अध्याय

XXXIV)

मृणालिनी पाधी बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

278. धारा 21 की उप-धारा 2 के खंड (एच) और (आई) के तहत प्रशासक द्वारा पारित आदेश को धारा 24 की उप-धारा 1 के दायरे में लाया जाना चाहिए। (अध्याय XXXIV)।

279. देवताओं के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर तीर्थयात्रियों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए कतार प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। साहन मेला जिसका वर्तमान में अर्थ है कि देवताओं के दर्शन करने के लिए भिट्टर पोखरिया में जाने वाले तीर्थयात्रियों को जारी रखना चाहिए। लेकिन इस तरह के सहान मेले के लिए अनुमत समय सुबह एक घंटे और रात में आधे घंटे तक सीमित होना चाहिए। अन्य सभी समयों पर, ऐसे अवसरों को छोड़कर जब प्रवेश

नाट्यमंदिर (चंदन अरगली और जया बिजोया द्वार के बीच का क्षेत्र) के तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध है, तीर्थयात्रियों को देवताओं के दर्शन करने के लिए चंदन अरगली तक कतार में खड़े होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मुफ़्त में जाएँ। यदि कभी-कभी सहान मेले के अलावा कोई तीर्थयात्री देवताओं के दर्शन के लिए भिट्टर पोखरिया में प्रवेश करना चाहता है तो उसे परमानिक दर्शन के प्रावधान का लाभ उठाना चाहिए जो वर्तमान में प्रचलित है। परमानिक दर्शन के लिए मौजूदा शुल्क में थोड़ी वृद्धि की जानी चाहिए। (अध्याय XXXV)

280. पिंडिका संग्रह के लिए तीन देवताओं के सामने तीन झड़ी रखने की प्रथा को बंद कर दिया जाना चाहिए। इसके बजाय रत्न सिघासन के ठीक नीचे एक मजबूत सीलबंद डिब्बे को रखा जाना चाहिए, उस समय जब तीर्थयात्रियों को सहान मेले के समय या परमानिक दर्शन के समय भिट्टर पोखरिया में जाने की अनुमति दी जाती है। ऐसे जाटियाँ जो देवताओं को कोई भी भेंट करने के लिए इच्छुक हैं, वे अपने प्रसाद को ऐसे डिब्बों में रख सकते हैं। इसी तरह का एक डिब्बा चंदन अरगली के पास भी रखा जाना चाहिए ताकि जाटियों को सक्षम किया जा सके जिनके पास दर्शन है।

उस बिंदु से देवताओं को अपने प्रसाद रखने के लिए। सहान मेले के समय रत्न सिंहासन पर बैठने वाले पालिया पशुपालकों को छोड़कर, सहान मेले के समय भिट्टर पोखरिया के अंदर कोई अन्य पालिया सेवक ड्यूटी पर नहीं होना चाहिए। तीर्थयात्रियों को तुलसी वितरित करना कर्तव्य पर तैनात पालिया पशुपालक का कर्तव्य होगा जो तीर्थयात्रियों को तुलसी वितरित करने के लिए रत्न सिंहासन पर बैठते हैं। वे नहीं करेंगे, दर्द पर

अनुशासनात्मक कार्रवाई, तीर्थयात्रियों से किसी भी भेंट के लिए अनुरोध करें। इसी तरह, दर्शन के समय चंदनर्गली के पास से तीर्थयात्रियों द्वारा एक सेवक को केवल तीर्थयात्रियों को तुलसी वितरित करने के लिए तैनात किया जाना चाहिए और उसे तीर्थयात्रियों से कोई भी प्रसाद मांगने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। (अध्याय XXXV)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

281. कतार प्रणाली को अपनाने से रोक नहीं लगेगी

तीर्थयात्री जगमोहन में इकट्ठा होते हैं और उस स्थान से देवताओं का दर्शन करते हैं जैसा कि वे वर्तमान में कर रहे हैं। यह है।

सामान्य दिनों में उन्हें विनियमित करना आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसे तीर्थयात्रियों का नियमन भी त्योहार पर आवश्यक हो जाएगा।

ऐसे अवसर जब तीर्थयात्रियों की भीड़ होने की उम्मीद है। (अध्याय

XXXV) 282. यात्री पांडाओं द्वारा अट्टिका धन संग्रह की मौजूदा प्रणाली को केवल विशिष्ट शर्त पर जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

कि अट्टिका राशि में से उन्हें मंदिर के कोष में 25 प्रतिशत का भुगतान करना चाहिए। साथ ही मंदिर प्रशासन को पर्याप्त प्रयोग करने की शक्ति देने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए।

यात्री व्यवसाय पर नियंत्रण। प्रशासक से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति को यात्री पांडा का व्यवसाय जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।

जो वास्तव में मंदिर में सेवा नहीं करता है। लाइसेंस में शर्तें अंकित की जानी चाहिए जो दर्शाती हैं कि एक यात्री पांडा तीर्थयात्री से कितनी राशि लेने का हकदार है।

प्रदान की गई सेवाएं, और जिन खातों का उसे रखरखाव करना है, आदि। कोई भी यात्री पांडा अपने गुमस्ता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता है जिसने स्वयं प्रशासक से लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है। अगर जतरी पांडा

मंदिर कोष में अट्टिका धन का 25 प्रतिशत योगदान करने के लिए सहमत न हों, जत्री पांडों द्वारा अट्टिका के संग्रह पर विधानमंडल द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और उचित प्रचार किया जाना चाहिए कि यदि जाट्री किसी भी उद्देश्य के लिए देवताओं को कोई प्रसाद देना चाहते हैं।

जो भी हो, प्रसाद केवल मंदिर में रखी हुंड़ियों में ही चढ़ाया जाना चाहिए और यह कि कहीं और कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा।

देवताओं के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। (अध्याय XXXVI)

283. धूलिया गुमस्तास की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मंदिर को तीर्थयात्रियों का एक संगठन स्थापित करना चाहिए

गाइडों को सूचीबद्ध करने और ऐसे गाइडों को सूचीबद्ध करने में धूलिया गुमस्तों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो अपने चरित्र और पूर्वजों को ध्यान में रखते हुए इस नौकरी के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं। वरीयता भी होनी चाहिए

सेवकों को दिया जाता है जो विधान द्वारा लाए गए किसी भी सुधार के कारण या अन्यथा अपनी सेवा से विस्थापित हो जाते हैं। प्रत्येक तीर्थयात्री गाइड को प्रशासक से लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए।

(अध्याय XXXVI)।

मृणालिनी पाधी बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

284. श्री जगन्नाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1976 के खंड 18 बी, 18 सी, 18 डी और खंड 18 एफ से 18 एच में निहित प्रावधानों की स्वीकृति के लिए सराहना की जाती है। (अध्याय XXXVI)। 285. भले ही अटिका की वर्तमान प्रणाली को ऊपर उल्लिखित शर्तों और प्रतिबंधों के तहत जारी रखने की अनुमति दी गई हो, फिर भी एक हुंडी को जगमोहन में एक प्रमुख स्थान पर एक पर्दे वाले बाड़े के अंदर रखा जाना चाहिए जहां जाटियां अपने प्रसाद डाल सकती हैं। इसी तरह,

मंदिर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सहायक मंदिरों में सीलबंद डिब्बों को रखा जा सकता है जहां तीर्थयात्री अपना स्थान बना सकते हैं।

287. मंदिर प्रशासन को अपनी खुद की एक धर्मशाला का निर्माण करना चाहिए। यदि संभव हो तो निकटवर्ती स्थान पर यथासंभव मंदिर। यदि इस तरह की खाली जगह को सुरक्षित करने में कोई कठिनाई होती है तो उसे रेलवे स्टेशन के पास तालाबानिया में एक धर्मशाला स्थापित करनी चाहिए। इसे 'ओन योर कॉटेज' योजना शुरू करनी चाहिए और तालाबानिया या बल्लपांडा में कॉटेज लगाना चाहिए।

साथ ही उसे पुरी शहर में स्थित धर्मशालाओं के प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए धर्मशाला के मालिकों के साथ बातचीत करनी चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो मंदिर प्रशासन को कम से कम कुछ व्यवस्था करनी चाहिए।

धर्मशाला के मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंदिर की बसों में धर्मशालाओं में ले जाए जाने वाले तीर्थयात्रियों को वहां समायोजित किया जाए। (अध्याय XXXVIII)

288. तीर्थयात्रियों को धर्मशालाओं तक ले जाने के लिए मंदिर को अपनी कुछ बसें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर रखनी चाहिए। (अध्याय XXXVIII) 289. आई. डी. 1 करोड़ की राशि का एक फाउंडेशन फंड बनाया जाना चाहिए। यदि राज्यपाल को कोई आपत्ति नहीं है, तो उनसे अनुरोध किया जा सकता है कि वे उड़ीसा के लोगों की ओर से कोष में दान आमंत्रित करने के लिए एक अपील जारी करें। कोष का प्रबंधन न्यासी मंडल द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें वे दाता शामिल हों जो फाउंडेशन कोष को 5 लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान करते हैं। जब निधि एकत्र की जाती है तो उसे दीर्घकालिक जमाओं में निवेश किया जाना चाहिए।

ऐसी जमाओं से उपार्जित राशि को इस उद्देश्य के लिए खर्च किया जाना चाहिए -

मंदिर। न्यासी मंडल को मंदिर की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और अन्य बातों के साथ-साथ उसकी आय बढ़ाने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए वर्ष में एक बार पुरी में बैठक करनी चाहिए। न्यासी मंडल को प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। (अध्याय XXXVIII)

लोकप्रिय और इसकी बिक्री से मंदिर को काफी लाभ हो सकता है। (अध्याय XXXVIII) 291. मंदिर को कई बेसाओं में देवताओं के चित्रों के निर्माण और बिक्री के लिए एकाधिकार प्राप्त करना चाहिए। यह

मंदिर को पर्याप्त आवर्ती आय प्राप्त होने की संभावना है। (अध्याय XXXVIII)

292. महालक्ष्मी भंडार को विभागीय रूप से चलाया जाना चाहिए।

लीज पर दिए जाने के बजाय जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। अगर यह काम करता है।

विभागीय रूप से इसका सालाना 2 लाख रुपये का शुद्ध लाभ होने की संभावना है, जबकि प्रबंधन को वर्तमान में 1,000 रुपये का शुद्ध लाभ हो रहा है।

इसे पट्टे पर देकर निकालना। (अध्याय XXXVIII)

293. प्रबंधन को एक योजना शुरू करनी चाहिए जिसके तहत तीर्थयात्री अपनी कीमत पर कुछ त्योहारों का संचालन कर सकते हैं

जिन देवताओं के लिए वर्तमान में खर्च किया जा रहा है

मंदिर निधि। तीर्थयात्रियों की भक्ति की इच्छा को संतुष्ट करने के अलावा, इस प्रणाली से मंदिर को काफी आय होने की संभावना है। (अध्याय XXXVIII)

देवता को विशेष भोग चढ़ाना। इस तरह के भोग का एक हिस्सा पालिया सेवकों की कुछ श्रेणियों के बीच वितरित किया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। मंदिर के हिस्से की बिक्री इस तरह के भोग से मंदिर को भी आय होगी। (अध्याय XXXVIII)

295. चूंकि मंदिर की परिवहन सेवा वर्तमान में प्रति वर्ष लगभग 2 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमा रही है, इसलिए इसका दायरा होना चाहिए।

जहां तक संभव हो, इसका विस्तार किया जाए। (अध्याय XXXVII)।

मृणालिनी पाधी बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

296. डेयरी फार्म शुरू किया जाना चाहिए। यदि ठीक से चलाया जाए तो परोपकारी लोगों द्वारा डेयरी फार्म में गाय दान करने की पूरी संभावना है। (अध्याय XXXVIII)

297. नीलाद्रीबिहार पर विभागीय रूप से काम किया जाना चाहिए और दोलाबेदी कुंज को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। (अध्याय XXXVIII)

298. मंदिर रोसो में चुलियों को कब्जे में लेने और पट्टे पर देने के अलावा, प्रशासन को मंदिर परिसर के अंदर सभी साराघरों को भी अपने कब्जे में लेना चाहिए और उनका उचित उपयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो बहर बेधा में स्थित कुछ सरघरों को पट्टे पर दिया जा सकता है। (अध्याय XXXVIII)।

299. जहां तक संभव हो, भगवान जगन्नाथ की भूमि और भगवान जगन्नाथ के अधीन सेवकों के कब्जे वाली जागीर भूमि को भूमि कानूनों के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। यह सिद्धांत सभी देबौत्तर भूमि पर भी लागू होना चाहिए। यदि भगवान जगन्नाथ की संपदाओं को संपदाओं के दायरे से छूट देना संभव नहीं है

उन्मूलन अधिनियम, जो वार्षिकी निर्धारित की जाने वाली है, वह यथासंभव उदार पैमाने पर होनी चाहिए, जिससे कीमतों में वृद्धि के साथ वार्षिकी राशि के आवधिक ऊपर की ओर संशोधन का प्रावधान किया जा सके। (अध्याय XXXVIII)। 300. राज्य के अंदर और बाहर स्थित भगवान जगन्नाथ की सभी संपत्तियों की पूरी सूची प्राप्त करने के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा ईमानदारी और तत्काल प्रयास किए जाने चाहिए। पुरी जिले में स्थित संपत्तियों को छोड़कर, जिन्हें मंदिर सीधे प्रबंधित कर सकता है, के निपटान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

पुरी के बाहर स्थित संपत्तियों और बिक्री से प्राप्त आय को दीर्घकालिक जमा में निवेश किया जाना चाहिए। उड़ीसा राज्य के बाहर स्थित संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास सरकार के स्तर पर किया जाना चाहिए। (अध्याय XXXVIII)।

301. सेवा अधिकारों के हस्तांतरण को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। (अध्याय XXXIX)

302. पूजा पांडों और ऐसे अन्य सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक संस्था स्थापित की जानी चाहिए जिनके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। मंदिर। (अध्याय XXXIX)।

303. मंदिर परिसर को पूरी तरह से बनाए रखने के लिए एक ठोस अभियान

मंदिर प्रशासन द्वारा सफाई की जानी चाहिए। (अध्याय XXXIX)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

304. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आनंद बाजार में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों को फ्लाई-प्रूफ पात्रों में रखा जाए। खाद्य-सामग्री को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित स्थानों पर बेचा जाना चाहिए। आनंद बाजार की सफाई होनी चाहिए।

दिन में दो बार। (अध्याय XXXIX)।

305. मंदिर परिसर के भीतर भिक्षा मांगना सख्ती से किया जाना चाहिए।

प्रतिबंधित है। (अध्याय XXXIX)।

306. मंदिर के अंदर धार्मिक वातावरण बनाया जाना चाहिए।

समय-समय पर धार्मिक प्रवचन आयोजित करके और

वेदपर्ण की व्यवस्था करना और पुराणों को पढ़ना, अंदर

मंदिर परिसर। (अध्याय XXXIX)।

307. वर्तमान में मंदिर में प्रचार की कोई व्यवस्था नहीं है। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए प्रचार व्यवस्था में काफी सुधार किया जाना चाहिए। (अध्याय XXXIX)।

308. मंदिर परिसर के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी रूप में दखिना की याचना करना, चाहे वह सेवक हो या अन्यथा, निषिद्ध होना चाहिए।

(अध्याय XXXIX)। 309. महाप्रसाद सेवा सदन जो कुछ समय पहले शुरू किया गया था और जो अब उपयोग में नहीं आया है, उसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। (अध्याय XXXIX)।

नाइट विजन वाले सीसीटीवी कैमरों की भी सिफारिश की गई थी। इन आरईः लीर्नड एमिकस क्यूरिया की रिपोर्ट

8. विद्वान न्यायमित्र श्री रंजीत कुमार ने 22-23.2.2019 पर ई-परिसर का निरीक्षण किया है। उन्होंने पुरी का संदर्भ दिया है।

जगन्नाथ मंदिर (प्रशासन) अधिनियम, 1952 (संक्षेप में, 1952 और श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1954 (संक्षेप में, 1954 अधिनियम)। जैसा कि नीचे परिभाषित सेवकों की परिभाषा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है

1954 के अधिनियम के 4 (घ-1) पर, इस प्रकारः

" 4 (घ-1) "सेवक" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिकारों के अभिलेख में दर्ज किया गया है या जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त है।

सेवक के रूप में या उसके स्थानापन्न के रूप में या सेवक के अधिकार प्राप्त कर लिए हैं।

हस्तांतरण के किसी भी मान्यता प्राप्त तरीके के माध्यम से और इसमें एक के खंड (i) के तहत कोई नीति या सेवा करने के लिए नियुक्त व्यक्ति

धारा 21 की उप-धारा (2) "। मृणालिनी पाधी बनाम।

9. विद्वान न्यायमित्र ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रबंधन की योजना को पुनर्गठित करने के लिए 1954 का अधिनियम बनाया गया है।

मंदिर के कार्य और तैयार किए गए अधिकारों के अभिलेख में निहित प्राचीन रीति-रिवाजों और अद्वितीय और पारंपरिक रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों को ध्यान में रखते हुए बेहतर प्रशासन और शासन प्रदान करना।

1952 के अधिनियम के तहत। प्रबंधन समिति का गठन अधिनियम के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, मंदिर की सेवा, पूजा और पत्रिकाओं नीति के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

भेंट, खातों का लेखापरीक्षा और हुंडी की स्थापना।

10. विद्वान न्यायमित्र ने निम्नलिखित पहलुओं की ओर इशारा किया हैः

निरीक्षण की अपनी रिपोर्ट मेंः

(क) मंदिर परिसर के अंदर भक्तों के आगमन के संबंध में विभिन्न पहलुओं में सुधार की गुंजाइश है। दर्शन करने का सुझाव दिया गया है

व्यवस्थित रेखा, तिरुपति, स्वर्ण मंदिर और माता वैष्णो देवी या इसी तरह के अन्य स्थानों में कौन सी सुविधा उपलब्ध है। विद्वान न्यायमित्र को बताया गया कि पूरा परिसर लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है।

वहाँ बड़ी संख्या में छोटे मंदिर थे,

लगभग 97।

(ख) स्वच्छता के संबंध में विशेष रूप से रोसाघर में, जहां महाप्रसाद के लिए सभी खाना पकाया जाता है, यह पाया गया कि हवा में खुले छोटे चबूतरे पर और कचरे के उचित निपटान के बिना बहुत सारी गतिविधियाँ की जा रही थीं। मुख्य रसोईघर में लकड़ी से बने चुल्लों का उपयोग किया जाता है। 240 चुल्लों में से 8 विशेष रूप से हैं।

भगवान जगन्नाथ के कोठा भोग की तैयारी के लिए उपयोग किया जाता है और बाकी अन्य लाइसेंसधारियों के कब्जे में हैं जो मंदिर प्रशासन को मामूली किराया देते हैं और महाप्रसाद पका रहे हैं। मुख्य रसोईघर में स्वच्छता के बारे में पता नहीं है। अपशिष्ट के निपटान के लिए कोई तंत्र नहीं है और न ही अपशिष्ट उपचार है

पौधा।

(ग) आनंद बाजार में स्वच्छता की आवश्यकता के संबंध में जहां महाप्रसाद की बिक्री होती है, कदम उठाए जाते हैं।

स्वच्छता के मामले में बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए. एस. आई.) ऐसा प्रतीत होता है कुछ समस्या है, अगर सुधार किया जाता है।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट(घ) दान बक्से को अंदर, बाहर और अंदर के अन्य सभी छोटे मंदिरों में रणनीतिक बिंदु पर रखा जाना चाहिए।

कॉम्प्लेक्स।

अर्जित न्यायमित्र को बताया गया कि 119 प्रकार की सेवा/इस वंशानुगत सेवकों द्वारा की जाती हैं और त्योहारों और अवसरों पर 45 श्रेणियों में से 85 से 90 सेवाएँ होती हैं। न्यायाधीश द्वारा की गई 12 सिफारिशों पर विचार करने के लिए प्रबंध बैठक आयोजित की गई थी। विद्वान न्यायमित्र ने इसके बारे में बताया है

इस प्रकारः

" (i) वंशानुगत सेवकों का उन्मूलन/सेवकों की नियुक्तिः सबसे पहले, 1952 के अधिनियम के संदर्भ में सेवकों को दिए गए वंशानुगत अधिकार को मान्यता दी गई है और यह वैधानिक प्रकृति का है। इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है।

क्योंकि अलग-अलग निजोग से संबंधित प्रत्येक सेवक को देवता के अनुष्ठान/नितियाँ करने के उनके अधिकार के संदर्भ में मान्यता दी गई है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रथा है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। उन्हें हटाया नहीं जा सकता और उन संस्कारों को मान्यता दी जाती है। हालाँकि, वर्तमान में लगभग 2300 हैं।

विभिन्न निजोगों से संबंधित सेवकों और जो सुझाव दिया गया था वह यह था कि संख्या को कम करने की आवश्यकता थी ताकि प्रत्येक सेवक को कुछ समय मिल सके। सेवा और उसके बाद परिवार के रखरखाव और रखरखाव और उनकी आजीविका के लिए कुछ पुरस्कार। दूसरों को एक सुनहरा हाथ मिलाया जाए जो प्रशासन और निजोगों के बीच किसी भी वंशानुगत प्रथा और देवता के साथ आवश्यकता को खोए बिना तैयार किया जा रहा था, साथ ही एक आरक्षित सूची भी थी ताकि किसी भी सेवक के अभाव में, नीति और अनुष्ठान किसी भी तरह से प्रभावित न हों।

((ii) सेवकों द्वारा धन संग्रह पर प्रतिबंधः द.

प्रबंध समिति में कुछ अन्य लोगों के साथ प्रशासक ने सुझाव दिया, जैसा कि आवश्यकता भी है।

अधिनियम के तहत, अतिरिक्त हुंडी/दान पेटी रखी जाती हैं और प्राप्त धन में से एक निश्चित प्रतिशत सेवकों को वितरित किया जाता है। ऊपर और ऊपर,

वे भक्त/आगंतुक जिनके पास एक विशिष्ट यात्री पूजा लिनी पधी v है।

ऐसा उस कार्यालय के माध्यम से जमा की जाने वाली कीमत पर किया जा सकता है जहां रसीदें दी जाएंगी और उसी का एक प्रतिशत उस पूजा को करने के लिए सेवक को दिया जाएगा। इस तरह तीर्थयात्रियों के दर्शन प्रभावित नहीं होंगे और साथ ही सेवकों को भी इसका एक निश्चित प्रतिशत मिलेगा।

पश्चिम और दक्षिण में दो स्थानों पर लेकिन 10 और मूत्रालय और दो शौचालय परिसरों को निजी रखरखाव के साथ स्थापित किया जा रहा था ताकि स्वच्छता और साफ-सफाई का ध्यान रखा जा सके। रखरखाव और क्लोक रूम चार महीने के समय में बनाए जाएंगे और सेवकों के लिए एक मोटरसाइकिल स्टैंड भी बनाया जाएगा।

दर्शन में कतारः मैंने इसे पहले ही ऊपर रेखांकित कर दिया है और प्रबंध समिति को पहले ही सुझाव दे चुका हूं कि यह कैसे किया जा सकता है और अदालत में भी समझाया जाएगा। हुंडी और दान पेटी से संग्रह की निगरानीः इस पर भी ऊपर चर्चा की गई है।

महालेखाकार द्वारा मंदिर निधि का लेखापरीक्षाः मुझे सूचित किया गया कि लेखा परीक्षा पहले से ही की जा रही थी मंदिर प्रशासन की आंतरिक लेखा परीक्षा समिति, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का लेखा परीक्षण सीएजी द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा प्रबंध समिति के सदस्य, चार्टर्ड एकाउंटेंट ने मुझे सूचित किया कि

वेबसाइट पर खातों को ऑनलाइन रखा जाएगाः डब्ल्यू. डब्ल्यू. जगन्नाथ। ठीक है। में और अधिक से अधिक गतिविधियाँ [2019] 16 एस. सी. आर.

अब उसे उसमें डाल दिया जाएगा। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मंदिर के कोष पर मंदिर की ब्याज कमाई लगभग Rs.30 से Rs.35 करोड़ प्रति वर्ष थी, जबकि खर्च Rs.60 से Rs.70 करोड़ प्रति वर्ष है। इसके बाद कमी को राज्य अनुदान द्वारा पूरा किया जाता है और पूंजी निवेश आवश्यकताओं को सरकार द्वारा पूरा किया जाता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्राप्त होने वाले दान के उद्देश्य से मंदिर के लिए डिजिटल विपणन किया जा सकता है। मुझे यह भी बताया गया कि मंदिर और दानदाताओं के पास कुल 60418.353 एकड़ भूमि है और अधिकारों का अभिलेख केवल 34200.976 एकड़ के संदर्भ में तैयार किया गया है और बाकी तैयार किए जा रहे हैं।

यह समझना चाहिए कि दो प्रकार के होते हैं मंदिर की तुलना में अधिकारों के अभिलेख, एक अधिकारों का अभिलेख है जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है

संपत्ति और राजस्व प्रविष्टियों का संदर्भ और दूसरा अधिकारों का अभिलेख (आर. आई. टी. ई. एस.) है जो उन सेवकों द्वारा किए जाने वाले संस्कारों, अनुष्ठानों और नितियों के संदर्भ में है जिनके पास वंशानुगत अधिकार हैं और जिन्हें 1952 के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है।

सेवकों और कर्मचारियों के लिए पहचान पत्रः इस बात पर सहमति बनी है कि सेवकों के लिए, कर्मचारियों के लिए और श्रमिकों के लिए एक रंग कोड के साथ पहचान पत्र बनाए जाएंगे ताकि अवांछित तत्व न आए। इसे तीन महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा।

पंजीकृत किए जाने वाले गाइडः यह बताया गया कि एक यात्री पांडा संघ बनाया जा रहा है जो मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा और जिसे प्रशासन के साथ पंजीकृत करना होगा और यह भी तीन महीने के समय में किया जाएगा और उन्हें एस. पी., पुरी के कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा ताकि किसी भी आपराधिक तत्व की भर्ती न हो।

प्रशासनिक कर्मचारियों की कमीः मुझे सूचित किया गया था। प्रशासनिक कर्मचारियों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा था और 127 व्यक्तियों को पहले ही हटा दिया गया था। प्रशासनिक कर्मचारियों की मुख्य आवश्यकता सफाई और झाड़ू लगाने के संदर्भ में थी, आंतरिक मंदिर मृणालिनी पधी बनाम।

पुलिस, मंदिर से संबंधित भूमि का प्रबंधन और मंदिर की खदानों और खानों का प्रबंधन भी। यह तर्कसंगतकरण होगा

जल्द ही पूरा हो जाएगा।

(xi) मंदिर की सुरक्षा के लिए एकल प्राधिकरणः मुझे बताया गया कि मंदिर के अंदर सुरक्षा का काम करने वाली आंतरिक पुलिस बिना किसी पुलिस शक्ति के थी, लेकिन अब एक अतिरिक्त एस. पी. रैंक के अधिकारी को हटा दिया गया है।

पूर्ण शक्तियों के साथ मंदिर प्रशासन को सौंपा गया

गृह विभाग के नियंत्रण में।

(xii) 1954 के अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनः द.

संशोधनों पर जोर अधिकारों के अभिलेखों के अर्थ के संदर्भ में था क्योंकि

ऐसा भ्रम जो नितियों और पूजाओं के प्रदर्शन के लिए सेवकों के वंशानुगत अधिकारों के लिए पैदा होता है।

12. विद्वान न्यायमित्र ने बताया है कि नहीं

मंदिर द्वारा किसी भी तीर्थयात्री के लिए आवास उपलब्ध कराया जाता है।

प्रशासन। प्रशासक ने बताया कि यात्री निवास और भक्त निवास प्रस्तावित किए गए थे और एक निर्माणाधीन था और दूसरा, जो उपलब्ध था, उसे बहुत मरम्मत की आवश्यकता थी।

13. सेवकों की मांग के संदर्भ दिए गए हैं

विद्यालय, शिक्षा प्रदान करने के लिए मंदिर प्रबंधन के संबंध में,

सेवकों के परिवारों के लिए सरकारी नौकरी आदि। उनके लिए और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कोई उचित आवास नहीं है। उन्हें सेवा/पूजा करने के लिए मुश्किल से महीने में एक बारी मिलती है, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार मिलता है, जो उनकी आजीविका के लिए पर्याप्त नहीं है।

14. विद्वान न्यायमित्र ने यह भी बताया है कि

समन्वय की आवश्यकता है। मंदिर के राजस्व सृजन के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं।

15. प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री गजपति महाराज की राय को विद्वान न्यायमित्र ने भी नोट किया है कि स्थिति बहुत कठिन थी क्योंकि दिल और आत्मा नहीं थे। भगवान को समर्पित। तीन धूसर क्षेत्रों को इंगित किया गया है, अर्थात्,

(1) तीन प्राधिकरणों के साथ प्रबंधन-सरकार, प्रबंध समिति और प्रशासक; (2) पारंपरिक नितियों और सेवाओं और अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता के बावजूद योग्य सेवक उपलब्ध नहीं हैं। सेवा को आकर्षक बनाया जाना चाहिए और (3) धार्मिक निगरानी उचित नहीं थी।

9] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. विद्वान न्यायमित्र ने यह भी बताया है कि

17. विद्वान न्यायमित्र ने हितधारकों के साथ अपनी बैठक के संबंध में भी बताया है। सेवकों का विचार था कि उनके संस्कारों को नहीं हटाया जा सकता है, जो वंशानुगत प्रकृति के थे। रथ यात्रा के दौरान चढ़ाने और गर्भगृह (गर्भगृह) के अंदर तीर्थयात्रियों के प्रवेश पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। न तो कोई स्वास्थ्य कल्याण योजना है और न ही अस्पताल उपलब्ध कराए जाते हैं। खातों का प्रबंधन ठीक से नहीं किया जा रहा है। खदानों और खदानों को नाबालिगों के नाम पर आवंटित किया गया था। चार्ल्स ग्रोम की 1805 की रिपोर्ट का भी संदर्भ दिया गया है। यह भी बताया गया है कि महिलाओं द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई आंतरिक तंत्र नहीं था। यह बताया गया है कि जिला न्यायाधीशों के 8 से 9 सुझावों को लागू किया जा रहा है। सुधार की गुंजाइश थी और सेवकों के वंशानुगत अधिकारों को प्रभावित किए बिना स्वच्छता में सुधार की आवश्यकता है, जो बदले में सेवकों की स्थितियों और परेशानी मुक्त दर्शन में सुधार करता है।

18. इस अदालत ने विद्वान न्यायमित्र और भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

और मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सुझावों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसे 27.8.2019 पर राजपत्रित किया गया है। विद्वान न्यायमित्र ने 27.9.2019 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें यह देखा गया है कि मंदिर के आसपास पुनर्विकास योजना मुख्य रूप से तीर्थयात्रियों के लाभ के लिए क्षेत्र में भीड़ को कम करने और पुरी शहर को विश्व धरोहर शहर बनाने के लिए है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ विध्वंस पहले ही हो चुके हैं। प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने बताया कि कोई नहीं था

इस स्थान की बेहतरी के लिए सुधारों का विरोध करना ताकि यह विश्व धरोहर शहर बन जाए। हालांकि, पुनर्वास पैकेज उदार और उचित होना चाहिए और उचित सौदा प्रदान करना चाहिए। 19. यह भी बताया गया है कि वार्षिक रथ यात्रा के दौरान, लाखों लोग मंदिर शहर में आते हैं, सभा ऐसी होती है कि यह मृणालिनी पधी बनाम।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

भीड़ को संभालना मुश्किल है। भीड़ का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है, विशेष रूप से बुजुर्गों या बच्चों की सुरक्षा के लिए या अगर कोई बीमार हो जाता है। यह बताया गया कि नागार्जुन बेशा को 2020-21 में आयोजित किया जाएगा और मंदिर के चारों ओर समर्पित गलियारों के साथ भीड़ को घुमाने और शांतिपूर्ण तरीके से इसे नियंत्रित करने की योजना तैयार की गई है। उन लोगों के लिए पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है जो अपने घरों, व्यावसायिक स्थानों आदि से उखड़ने वाले हैं। अधिग्रहण बातचीत के आधार पर किया जा रहा है। विद्वान न्यायमित्र श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य से भी मिले और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, जिन्होंने दैनिक राजभोग और पूजा के बारे में चिंता व्यक्त की, जिन्हें "नीटिस" कहा जाता है, जो दैनिक आधार पर देवताओं के लिए मंदिर के अंदर किया जाता है और यदि देवता नहीं होते हैं।

नीतियों के अनुसार पूजा की जाती है, फिर यह मूर्ति को अपवित्र करने के बराबर होता है। उन्होंने विद्वान न्यायमित्र को एक लिखित नोट सौंपा है। नीती के बारे में मुख्य रिट याचिका और देवताओं की पूजा में पालन किए जाने वाले दैनिक अनुष्ठान पर निर्णय लेने के लिए दिया गया नोट सहायक होगा।

20. विद्वान न्यायमित्र ने यह भी बताया है कि मंदिर के बाहर बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।

मौजूदा एक, जिसे प्रस्तावित योजना द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है।

21. सुश्री प्रिया हिंगोरानी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी

एक अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने 11.10.2019 पर मंदिर का दौरा किया। उन्होंने यह भी बताया है कि कुछ विध्वंस हुए हैं। वे संरचनाएँ जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थीं और मानव निवास के लिए असुरक्षित थीं। हालाँकि, मठों के अंदर के मंदिर, उनकी गाड़ियों, समाधियों और अन्य कलाकृतियों को संरक्षित किया गया है। कुछ प्रतिष्ठानों को स्थानांतरित कर दिया गया है और इसलिए, अभी तक उनका पुनर्वास नहीं किया गया है।

इन आरईः श्रीमद द्वारा बनाए गए सुझाव

जगद्गुरु शंकरचार्य

22. श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा दिए गए सुझावों को भी अभिलेख में रखा गया है, जिसमें इस स्थान के महत्व को इस प्रकार बताया गया हैः

" नीलचक्र, शिखा ध्वज के ईमानदारी से दर्शन करके,

देवलय, गरुड़ स्तंभ, श्री पतित पवन, रथ परिसर से रथ पर रखे श्री जगन्नाथ के सामने झुकेंगे और मंदिर की बाहरी परिक्रमा करेंगे।

वही फल जो सीधे सेवा और पूजा में शामिल हो।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अभिव्यक्ति के लिए मंत्रिक, तांत्रिक और यंत्रिक प्रक्रिया का उपयोग

सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को शामिल करते हुए

पारंपरिक रूप से बनाए गए अर्चना विग्रह का रूप प्रक्रिया के समान है।

जल, पृथ्वी और आकाश में मौजूद विद्युत की अभिव्यक्ति

मशीनें।

जैसे हमें इस तथ्य का सम्मान करने की आवश्यकता है कि "बिजली नहीं होनी चाहिए।

गायब हो जाए और इसका अस्तित्व फायदेमंद होना चाहिए न कि घातक "। में।

उसी तरह यह तथ्य कि "पाँच देवता अर्थात् सूर्य" विष्णु-शिव-शक्ति-गणपति और उनके अवतार

सनातन शास्त्र (शास्त्र) जो पवित्र हैं और

अर्चना विग्रह में निहित उनका पुनर्भरण नहीं होना चाहिए

कम हो जाना चाहिए और उनकी उपस्थिति फायदेमंद होनी चाहिए न कि घातक।

औचित्य की सीमाओं के भीतर इस तथ्य का सम्मान अंतिम है।

सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और संवैधानिक उत्तरदायित्व

संस्थान। देवता तत्व को समझने वाले प्रतिभाशाली लोग

उनकी असाधारण अचूक शक्ति के प्रभाव के माध्यम से विचार करें

शानदार प्रभाव-कारण-रचित सार्वभौमिक सर्व-देवता या तो आदित्य (सूर्य) 'के अनुसार, dSo ओके इग्कुकरेक एनसोर्क 1 lw; Z bR; kp {kr' or अग्नि (अग्नि) के रूप में 'vfXu लोकज़ एनसोर्क%' (ऐतरेय ब्राह्मण) के अनुसार

2.3) . उन्हें असाधारण भव्यता वाले इंद्र के रूप में भी जाना जाता है।

मित्रा जो मौत के डर से सुरक्षा का आश्वासन देता है, वरुण जो शुद्ध करता है

सब पाप। अग्नि जो सर्वव्यापी है, गरुड़ दिव्य पक्षी, यम

जो अग्नि के रूप में शासन करता है और वायु जो स्वतंत्र रूप से बहती है

शक्ति, गणपति और उनके वेद आधारित अवतार (अवतार) जो पाँच कार्य करते हैं-सृजन-संरक्षण-विनाश।

सजा-अर्चना विग्रह के रूप में इनाम संभव है।

इसलिए यह विद्वान प्रतिष्ठित व्यक्ति का पवित्र दायित्व है।

कि वे इस सनातन परंपरा की अनुमति देते हैं जो सामंजस्यपूर्ण है

सनातन पद्धति में लागू किया गया "। सनातन मंदिर में नियुक्त सेवकों के संबंध में, वे अपनी जीविका चलाने के लिए मजबूर। चिंता व्यक्त की गई है

उनकी आर्थिक स्थिति। मंदिर को शोषण मुक्त बनाने के लिए

समृद्ध वातावरण, आपसी समझ विकसित करनी होगी

पवित्र संस्था को आर्थिक शोषण से मुक्त करने का उद्देश्य।

मृणालिनी पाधी बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सरकार द्वारा पहले की तुलना में अधिक आर्थिक शोषण न हो। इस पवित्र संस्था के उचित संचालन में शामिल किसी भी तत्व की उपेक्षा और अनादर नहीं होना चाहिए, लेकिन न तो सभी की कम या ज्यादा भागीदारी की आवश्यकता है। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसके लिए श्री मंदिर में सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए एक सौहार्दपूर्ण संवाद के लिए सुझाव दिए गए हैं। निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

" 1. श्री मंदिर को शिक्षा, रक्षा, संस्कृति के संस्थान के रूप में बढ़ावा देने और व्यवस्थित करने के प्रयास का कार्यान्वयन।

समृद्धि, सेवा, धर्म और मोक्ष।

2. चयन, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उचित प्रणाली का कार्यान्वयन

पारिवारिक परंपरा के अनुसार सेवकों का नामांकन करना।

3. धार्मिक और आध्यात्मिक नेतृत्व की अनुपस्थिति को ठीक किया जाना चाहिए।

परंपरा के अनुसार।

4. ऋग्वेद, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, वामदेव संहिता, नीलाद्रीमहोदय, पंचरात्र ईश्वर संहिता और विमर्ष नामक पुस्तकों में श्री जगन्नाथ से संबंधित अभिषेक, पूजा और विभिन्न त्योहारों का उल्लेख किया गया है; इन पर आधारित 'श्रीमंदिर-सेवा-समरचा प्राकल्प-पद्धति'-'श्री जगन्नाथ संहिता' नामक पुस्तक होनी चाहिए।

श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य, श्री गोवर्धन मठ, पुरी पीठ के मार्गदर्शन में बुद्धिमान पंडितों द्वारा बनाया गया है ताकि अंधी परंपराओं को उचित रूप से नकार दिया जाए और शास्त्र (शास्त्र) के अनुसार एक स्वस्थ परंपरा को तय और लागू किया जाए।

5. ' मुक्ति मंडप को उसके मूल रूप और स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन के प्राकृतिक अधिकार में बहाल किया जाना चाहिए।

श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य, श्री

गोवर्धन मठ, पुरी पीठ को परंपरा के अनुसार बहाल किया जाना चाहिए।

6. राजा गजपति जी को यज्ञन के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

राजा इंद्रद्युम्न का पद।

7. शंकराचार्य, गजपति, मुक्ति मंडप, सेवकों और प्रशासन के अधिकार और देनदारियां होनी चाहिए उन्होंने इस तरह से फैसला किया कि वे न तो अधिक या कम हैं; फिर [2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुरानी स्थापित परंपराओं के अनुसार कुंभकर आदि की सेवा भूमिकाओं का निर्धारण और निष्पादन।

उनकी पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रशिक्षण। श्री मंदिर को व्यवस्थित करने में यह उम्मीद की जाती है कि परंपराओं के उचित पालन, दैनिक अनुसूची के अनुसार सेवकों की पात्रता स्थापित करने, आवश्यक सेवा की सीमा के भीतर सेवकों की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण और प्रशिक्षण पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

मार्गदर्शन और सिर्फ पैसे और प्रसिद्धि के केंद्र में बदल गया। फूट डालो और राज करो नीति का कार्यान्वयन अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। इसलिए इस विसंगति का सुधार अत्यधिक वांछित है। श्री जगन्नाथ जी की दिव्य शक्तियों को बनाए रखने के उद्देश्य से

अर्चना विग्रह अक्षुण्ण रहे ताकि उपासकों और भक्तों को इससे कोई नुकसान न हो, हमें सनातन शास्त्र (शास्त्र) में निर्धारित आदेशों और निषेधों का उसी तरह पालन करने की आवश्यकता है जैसे हम बिजली के संबंध में आदेशों और निषेधों का पालन करते हैं। के द्वारा

श्री मंदिर को गांधी जी की समाधि और संग्रहालय के बराबर घोषित करते हुए, इसकी पवित्रता और सुरक्षा विलुप्त होने वाली है।

इस पवित्र संस्थान को दुनिया भर के हिंदुओं की भक्ति और भागीदारी का केंद्र बनाना आवश्यक है जो श्री जगन्नाथ के भक्त हैं और सनातन, वैदिक, आर्य परंपरा से संबंधित हैं। श्री जगन्नाथ जी का पहला अभिषेक श्री ब्रह्मा जी द्वारा वैशाख शुक्ल अष्टमी पर और दूसरा अभिषेक मृणालिनी पधी V.

10. 144 वर्षों तक मूर्तियों को नष्ट करने वालों के शासनकाल के दौरान श्री जगन्नाथ जी दिखाई नहीं दे रहे थे; 483 ईसा पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी पर भस्मजाबाला उपनिषद के अनुसार, श्री भागवतपद आदि शंकराचार्य ने मुक्ति को फिर से समर्पित किया। मंडप। इस तथ्य को श्री मंदिर के इतिहास में कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

11. श्री भागवतपद आदि शंकराचार्य और उनके शिष्य सम्राट सुधनवा द्वारा निर्दिष्ट विधि के माध्यम से श्री गोवर्धन मठ, पुरी पीठ के प्रबंधन के तरीके को साफ किया जाना चाहिए; फिर श्री जगन्नाथ महाप्रभू को इस पीठ और पुरुषोत्तम में स्थित पुरी के पूजा देवता के रूप में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए।

इस क्षेत्र को एक धार्मिक और आध्यात्मिक राजधानी के रूप में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए और पीठ के आचार्य का उल्लेख इसके अधिपति के रूप में किया जाना चाहिए।

इस तथ्य को ध्यान में रखें कि देवगुरु बृहस्पति जी के बिना इंद्र और अन्य देवताओं को बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में

दुनिया भर में ईसाइयों की प्रमुखता के पीछे अचूक कारण ईसाई धर्म के दोनों भागों अर्थात् वैकल्पिक शासन प्रणाली और पोप के बीच सहमति है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक व्यासपीठ और सरकार के बीच सैद्धांतिक सहमति के लिए एक रास्ता साफ किया जाना चाहिए। 12. श्री मंदिर में सेवा की कम मात्रा के कारण अधिकांश सेवक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके आर्थिक कल्याण का एक तरीका खोजना चाहिए और उनके चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए कुछ पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

13. ओडिशा सरकार को एक कुशल मुख्य प्रबंधक नियुक्त करना चाहिए

दूसरों को धर्म का पालन कराने में और श्री मंदिर में आध्यात्मिक गतिविधियाँ; लेकिन उसे धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रशासक नहीं होना चाहिए।

14. श्री के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाला सक्षम व्यक्ति

मंदिर प्रबंधन समिति को पहले एक महीने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेना चाहिए, फिर उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे इस पवित्र संस्थान को दिशाहीन व्यापारी वर्ग की पकड़ से दूर रख सकें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. श्री मंदिर में पवित्रता, सुंदरता, भव्यता और व्यवस्था के मानकों का निर्धारण और निष्पादन किया जाना चाहिए।

जितनी जल्दी हो सके। 16. श्री मंदिर की संपत्ति और बजट का विवरण तय किया जाना चाहिए और उचित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

17. यात्रियों को गर्मजोशी और सुखद व्यवहार प्राप्त करना चाहिए।

18. श्री मंदिर में समर्पित देवी-देवता की सेवा और पूजा शास्त्र (शास्त्र) के अनुसार की जानी चाहिए।

उचित समय।

22. ओडिशा में मठों, 'सनातन धर्म' के मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक किले और दिव्य मंदिरों के रूप में व्यवस्थित करने के प्रयास को निर्धारित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। 23. पूरे देश और दुनिया में निर्मित श्री जगन्नाथ मंदिरों की प्रबंधन समितियों के पदाधिकारी होने चाहिए

सद्भावना से संपर्क किया जाता है और हर साल 'आचार्य पीठ', पुरी में उनके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए।

25. पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहां स्थित श्री मंदिर की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। 26. श्री मंदिर के गर्भगृह (गर्भगृह) और संलग्न मंडप के बीच आवश्यक सुधार को शास्त्र (शास्त्र) के आधार पर निर्धारित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

मृणालिनी पाधी बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

27. सेवा और पूजा में अत्यधिक गोपनीयता और दुराचार

श्री मंदिर के विभिन्न आयामों को जोड़ने के कारण

समय-समय पर कई प्रतिष्ठित व्यक्ति; जबकि विस्तार से पता चलता है

क्लेश में वृद्धि होती है लेकिन संक्षिप्तता राहत की ओर ले जाती है-%

डिसक्ला; qDrk% ला {ksikLrq lq [kkogk% A (महाभारत शांति पर्व, 297.20,

37)

इसलिए प्रथाओं को निर्धारित करना और उन्हें लागू करना आवश्यक है

जो निर्विरोध और सनातन परंपरा के अनुसार हैं

और जो इस पवित्र संस्थान को नहीं बनाएगा

दिशाहीन।

28. जबकि इस संस्थान से संबंधित कोई भी व्यक्ति और संगठन

उचित रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए, किसी को भी इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए

धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था।

31 ..... इसलिए यह एक स्थापित सिद्धांत है कि श्री गोवर्धन मठ और इसकी पवित्र संस्था आराध्या देवी है।

जवाब संख्या 2

23. उड़ीसा राज्य, प्रत्यर्थी सं। 2 एक शपथ पत्र दाखिल किया है

2 पर, जिसमें यह कहा गया है कि उड़ीसा राज्य ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, वैष्णो देवी, सोमनाथ मंदिर, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, तिरुपति मंदिर और धर्मशाला (कर्नाटक) मंदिर जैसे अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों की प्रबंधन योजनाओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। द. समिति को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। 12.6.2018 पर अधिसूचना जारी की गई है।

24. राज्य की ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया है

उड़ीसा ने 30.9.2019 पर, जिसमें यह बताया गया है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति बी. पी. दास की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसने भीड़ प्रबंधन, आपातकाल की आवाजाही के लिए मंदिर के बाहर सड़क को चौड़ा करने की सिफारिश की है। फायर टेंडर, एम्बुलेंस आदि जैसे वाहनों और कार्य विभाग ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, [2019] 16 एस. सी. आर. में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों के

तहत श्री जगन्नाथ मंदिर के मेघनाद पचेरी से 75 मीटर के भीतर भूमि अधिग्रहण के लिए कलेक्टर को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

2013 (' 2013 का अधिनियम ')। मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे 27.8.2019 पर राजपत्रित किया गया है। यह कहा गया है कि अधिग्रहण और पुनर्वास के लिए 2013 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं। तीन अत्यधिक असुरक्षित संरचनाओं को हटा दिया गया है, जिनका विवरण दिया गया है। यह भी कहा गया है कि अंतिम पुनर्वास होने तक 26 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रभावित मठों के देवताओं और गाड़ियों को संरक्षित किया गया है। पुनर्विकास योजना विरासत वास्तुकला, श्री के बीच पूरक संबद्धता पर ध्यान केंद्रित करेगी।

जगन्नाथ मंदिर और संबंधित मठ। पुनर्विकास योजना में गणित के उपयोग के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। पुनर्वास और पुनर्वास योजना के अनुसार खरीदारी इकाइयों का निर्माण किया जाएगा और सामान्य बाजार परिसरों में उपलब्ध कराया जाएगा। पुनर्वास और पुनर्वास पैकेज को अनुलग्नक-सी के रूप में पुरी की हेरिटेज सिटी परियोजना के साथ अनुलग्नक-डी के रूप में दाखिल किया गया है। कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और जिला प्रशासन का मंदिरों और गाड़ियों आदि को हटाने का कोई इरादा नहीं है।

25. उड़ीसा राज्य द्वारा 21.10.2019 पर अतिरिक्त स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है। राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है

मठाधीश और मठ के प्रशासकों के साथ परामर्श। राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पाँच कदम उठाए गए हैं:

" 7.कि उपरोक्त उल्लिखित कदम यह सुनिश्चित करेंगे कि

(i) श्री जगन्नाथ मंदिर के पास के क्षेत्र को साफ करने की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा किया जाता है ताकि किसी भी भगदड़, आग की घटना से बचा जा सके और आपात स्थिति का ध्यान रखा जा सके।

अग्निशमन दल और एम्बुलेंस को प्रवेश/निकास प्रदान करके और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए स्थिति

मंदिर और भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए।

((ii) ऐसा करते समय, देवताओं, गर्भगृह, गाड़ी,

मठ की समाधि, मठ के अवशेषों को बाधित नहीं किया जाएगा और कलिंग शैली की वास्तुकला के अनुरूप बेहतर सौंदर्यीकरण के साथ अपने वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे।

(iii) मठ की जो संपत्तियां दुकानों/वाणिज्यिक गतिविधियों/लॉज आदि के लिए उपयोग की जाती हैं, उनका अधिग्रहण किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी और मुआवजे का भुगतान पुनर्वास के अनुरूप पारस्परिक रूप से सहमत दर पर किया जाएगा।

और पुनर्वास नीति। प्रत्येक खरीदारी इकाई मृणालिनी पधी बनाम होगी।

बाजार में एक दुकान इकाई के आवंटन के लिए पात्र

परिसरों का विकास किया जाए।

(iv) मठ के पुनर्विकास को देखते हुए

महंता के आवास और अन्य प्रासंगिक संरचना, जैसा लागू हो, एक वैकल्पिक स्थान उस स्थान के निकटतम उपलब्ध क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाएगा जहां यह पहले मौजूद था। कानून के अनुसार संरचना लागत का भुगतान संबंधित मठों के महंता को किया जाएगा।

में निर्धारित निर्माण सहायता पुनर्वास और पुनर्वास नीति।

(v) जब तक ऐसी वैकल्पिक साइट उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक राज्य सरकार मुआवजे/किराए का भुगतान करेगी।

पुनर्वास और पुनर्वास नीति के अनुसार दर पर मासिक आधार पर और महंतो के अनुरोध पर आधारित जिसकी गणना उनकी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की जाती है।

विभिन्न महांतों के साथ परामर्श बैठक के कार्यवृत्त

गणित को अनुलग्नक ए से एच के रूप में भी दर्ज किया गया है।

इन आरईः हस्तक्षेपकर्ता की प्रस्तुति

26. हस्तक्षेप करने वालों में से एक-दैतापति निजोग ने बताया है कि

दैतापतियों को भगवान जगन्नाथ की गुप्त सेवा पूजा करने का वंशानुगत अधिकार है और इसका उल्लेख 1954 के अधिनियम के तहत अधिकारों के अभिलेख में किया गया है। दैतापतियों की संख्या में किसी भी कमी से नितियों/अनुष्ठानों को करने में कठिनाइयाँ पैदा होंगी।

इन आरईः मंदिर प्रबंधन का जवाब

समिति

27. मंदिर प्रबंधन समिति ने विद्वान न्यायमित्र द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में अपना पहला जवाब 24.4.2019 पर दाखिल किया है। यह बताया गया है कि मंदिर प्रशासन 23.2.2019 पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद इस मुद्दे पर विद्वान न्यायमित्र की सिफारिशों/सुझावों को लागू करने के खिलाफ नहीं है।

28. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मंदिर प्रशासन मंदिर में सुधार करने के लिए खुला है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। हालाँकि, जनता के व्यापक हित में, [2019] 16 एस. सी. आर. के लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किए बिना सुधार किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उड़ीसा, भक्त, धार्मिक परंपराएँ, सेवकों के अधिकार और जगन्नाथ संस्कृति। चूंकि, यह अराजक नहीं होना चाहता है

मंदिर के आसपास या उसके भक्तों की धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाने के लिए, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कतार प्रणाली को सभी के लिए कवर के साथ स्टील रेलिंग स्थापित करके शुरू किया गया है।

घड़ी। अक्टूबर, 2019 के पहले सप्ताह से सिंहद्वार यानी मुख्य प्रवेश द्वार पर रेलिंग लगाई गई है, जिसका जगन्नाथ सेना होने का दावा करने वाले कुछ समूहों ने कड़ा विरोध किया था और पुरी बंद का आह्वान किया था 3.10.2019 . जिसके दौरान समूह के सदस्यों ने तोड़फोड़ की और

मंदिर प्रशासन में तोड़फोड़ की, जिससे मंदिर प्रशासन की संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। इस प्रकार, मंदिर प्रशासन को मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर फांसी को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 29. यह भी बताया गया है कि मंदिर के अंदर भीड़ के प्रबंधन के लिए बड़े पैमाने पर सुधार संभव नहीं है क्योंकि मंदिर संरक्षित धार्मिक स्मारक होने के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए. एस. आई.) के नियंत्रण में है और इसकी स्पष्ट अनुमति के बिना आगे कोई निर्माण या नवीनीकरण संभव नहीं है।

30. सेवकों के वंशानुगत अधिकारों के उन्मूलन के बारे में, मंदिर

प्रशासन सम्मानजनक समझौते में है, हालांकि, मंदिर प्रशासन द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1952 के अधिनियम के तहत उनके अधिकारों को मान्यता देते हुए ऐसे सेवकों/सेवायतों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया गया है। इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी। यह भी बताया गया है कि सेवकों के सदियों पुराने अधिकारों को समाप्त करने वाले मौजूदा प्रावधानों में इस तरह के संशोधन की स्थिति में, श्री के दैनिक अनुष्ठानों/नितियों/पूजाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। भगवान जगन्नाथ सभी पुजारियों के रूप में देवताओं की सेवा/पूजा नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए विशेष कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और वर्तमान सेवक देवताओं की सेवा/पूजा की पारंपरिक शैली से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस प्रणाली के उन्मूलन से व्यापक विरोध हो सकता है। द.

मंदिर प्रशासन सेवकों की संख्या को कम करने पर विचार कर रहा है, जो बड़ी संख्या में हैं और दैनिक अनुष्ठान करने के लिए सेवकों की वास्तविक संख्या के विपरीत ऐसे अधिकारों का आनंद ले रहे हैं और

केवल उत्सव के अवसरों पर अतिरिक्त सेवकों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में लगभग 2500 सेवक हैं और वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार संख्या को बड़े स्तर तक घटाया जा सकता है। उड़ीसा राज्य के पूर्व राज्यपाल श्री बी. डी. शर्मा ने भी इस एम. आर. आई. एन. एल. आई. पी. ए. डी. वी. में अपनी रिपोर्ट में सुधार का सुझाव दिया।

ध्यान दें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि नितियों के लिए सेवायतों के रोजगार को तर्कसंगत बनाया जाएगा और वास्तविक आवश्यकता की सीमा के भीतर रखा जाएगा। मंदिर प्रशासन सेवकों के आरओआर को पूरी तरह से समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। सेवकों की संख्या कम करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाने की स्थिति में दैनिक अनुष्ठानों को रोककर गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इस प्रकार, मामला उस पर छोड़ दिया गया है और वे इस न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों और आदेशों का पालन करेंगे।

31. मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर में हुई 28.12.2018 की एक घटना पर भी प्रकाश डाला गया है जिसमें एक

भितार-छू सेवक, जिसे दैनिक पूजा/नितियों के लिए सुबह साढ़े चार बजे पवित्र स्थल-संतोरम का दरवाजा खोलने का दैनिक कर्तव्य सौंपा गया था, ने पुलिस के साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के आधार पर दरवाजा नहीं खोला।

पुरी शहर का प्रशासन, सेवा के प्रदर्शन में देरी का कारण बना

पूजा और मुख्य प्रशासक के हस्तक्षेप से शाम को साढ़े चार बजे दरवाजा खोला गया। मुख्य प्रशासक को उन सेवकों के खिलाफ कानून के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो मंदिर विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, जिसमें निटियों/पूजा/सेवा को रोकना और उनके खिलाफ दुर्व्यवहार/कदाचार शामिल हैं। मंदिर प्रशासन के कर्मचारी और श्रद्धालु भी। भक्तों और तीर्थयात्रियों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में, ऐसे सेवकों को उनके आरओआर और कानून के तहत उनके द्वारा प्राप्त लाभों/सुविधाओं से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करना। समिति ने सेवकों द्वारा दान के संग्रह पर भी सहमति व्यक्त की है जैसा कि विद्वान न्यायमित्र ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 9 में सुझाव दिया है। मंदिर प्रशासन ने 18.8.2018 पर एक प्रस्ताव पारित किया है और एक उप-समिति का गठन किया है। इसने इस संबंध में एक विनियमन का मसौदा तैयार किया है और यह श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1955 की धारा 31 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार प्रबंध समिति की मंजूरी का इंतजार कर रहा था।

32. यह बताया गया है कि मुख्य प्रशासक द्वारा मठों को विकसित करने के लिए प्रबंध समिति को सुझाव दिए गए हैं

यह गरीब और जरूरतमंद भक्तों/तीर्थयात्रियों को कम लागत में आवास प्रदान करने के लिए मंदिर की परिधि में स्थित है।

33. मंदिर प्रशासन ने मंदिर की ई-सेवाओं को शुरू करने की पहल की है। वेबसाइट में सभी प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। मंदिर के संबंध में जानकारी जैसे सेवा/पूजा का विवरण,

भक्तों के लिए आवास, प्रसाद/भोग की बिक्री के लिए मूल्य-चार्ट। अक्षय तृतीया के शुभ दिन 7.5.2019 पर वेबसाइट के लॉन्च होने की संभावना थी।

9] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. भक्तों को परेशानी मुक्त दर्शन के संबंध में, मंदिर प्रशासन ने सुविधा प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं।

मंदिर के चारों ओर छतरी, सुरक्षित पेयजल के साथ परिक्रमा

उपयुक्त स्थानों पर सुविधा, वृद्ध, वृद्ध और भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था।

35. भक्तों और तीर्थयात्रियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आनंद सहित कई स्थानों पर जल शोधक लगाए गए हैं।

तीर्थयात्रियों/सेवकों के लिए बाजार।

36. आसपास की स्वच्छता स्थितियों में सुधार के संबंध में

रोसाघर, यह मामला ए. एस. आई. के साथ उठाया गया है ताकि पंडाल के लिए आवरण प्रदान करने सहित कदम उठाए जा सकें जहाँ खाना पकाने की सभी प्रारंभिक तैयारी की जाती है।

37. अपशिष्ट निपटान के संबंध में, दक्षिणी द्वार पर उपचार संयंत्र है। कर्मचारियों द्वारा अन्य कचरा एकत्र किया जा रहा है।

पुरी नगरपालिका दैनिक आधार पर। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए विद्वान न्यायमित्र की रिपोर्ट को देखते हुए मंदिर आगे की संभावनाओं की खोज कर रहा है।

38. कल्याणकारी उपायों के संबंध में, मंदिर

प्रशासन ने बताया है कि वे निम्नलिखित लाभ दे रहे हैं:

" 14. जहाँ तक सेवकों की शिकायतों का संबंध है, जैसा कि एल. डी. की रिपोर्ट में बताया गया है। न्यायमित्र चिंतित हैं कि मंदिर प्रशासन द्वारा उनके लाभों के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं;

ए। वृद्ध, वरिष्ठ सेवकों, दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन

और सेवकों की विधवाएँ;

बी। मेदी-सभी सेवकों के लिए नीति का दावा करें। सी। सेवकों के बच्चों को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति

शिक्षा.

डी। सेवकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाला औषधालय

और उनके परिवार के सदस्य।

ई. सभी के लिए मंदिर के अंदर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र।

एफ. शादी, धागे के मामले में सेवकों को आर्थिक मदद

समारोह और अंतिम संस्कार के खर्चों को पूरा करना।

जी. मंदिर के अंदर मृत्यु के मामले में सभी सेवकों और भक्तों को आकस्मिक मृत्यु बीमा कवरेज; "मृणालिनी पधी बनाम.

39. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मंदिर प्रशासन सेवकों के बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है जहां बच्चों को जगन्नाथ से लैस करने के लिए दिया जाना है।

कृति और सेवा/पूजा से जुड़े संस्कार और अनुष्ठान।

40. मंदिर की ओर से एक और हलफनामा दायर किया गया है।

जिंग समिति, जिसमें यह कहा गया है कि प्रबंध समिति ने 27.9.2018 पर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

' (i) वंशानुगत सेवकों का उन्मूलन/सेवकों की नियुक्ति।

प्रबंध समिति ने सिफारिशों पर विचार किया

के अधीन गठित उप-समिति द्वारा प्रस्तुत

प्रशासन ने वंशानुगत अधिकार धारकों-सेवकों के वंशजों को सेवा करने की अनुमति दी है, जिसके परिणामस्वरूप सदियों से सेवकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब इसे सुव्यवस्थित और तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। वंशानुगत अधिकार प्रणाली को फिर से परिभाषित करके और इसे सही ढंग से लागू करके। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के संबंध में, एक सेवक का वंशानुगत अधिकार नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं है। बल्कि नियुक्ति के लिए विचार किया जाना एक अधिमानी अधिकार है।

पद की उपलब्धता, पात्रता और योग्यता के अधीन। इस आधार पर,

दैनिक अनुष्ठानों, आवधिक नितियों और त्योहारों के सुचारू प्रदर्शन के लिए वंशानुगत अधिकार धारक सेवकों की प्रत्येक श्रेणी से वास्तव में आवश्यक सेवकों की संख्या का चयन और नियुक्ति करने का प्रस्ताव है। सेवकों की संख्या वास्तव में आवश्यक है और

चयन के लिए प्रक्रिया पूरी तरह से निर्धारित की जाएगी।

सेवक निजोगों और राज्य के साथ चर्चा और विचार-विमर्श

सरकार। वंशानुगत अधिकार धारक सेवकों का चयन नहीं हुआ/[2019] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त लोगों को उदारता से मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार से एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का अनुरोध किया जाएगा।

चयनित व्यक्ति सेवक के रूप में अपनी स्थिति नहीं खोएंगे और उनकी सेवा की श्रेणी में भविष्य में रिक्तियों के मामले में उनके या उनके उत्तराधिकारियों के चयन/नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। यदि कोई चुना गया है सेवक, समय पर रिपोर्ट करने में विफल रहता है या अपने कर्तव्य का पालन करने में लापरवाही करता है, वह उचित माध्यम से सेवा से बर्खास्त होने के लिए उत्तरदायी है।

सेक के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही। 21 - उक्त अधिनियम का ए और ए

नए सेवक आर. 0 के अनुसार सेवकों की एक ही श्रेणी से सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। आर. मुट्ठी भर सेवकों को छोड़कर अधिकांश सेवक ईमानदारी और समर्पण के साथ अपनी सेवा कर रहे हैं। कई सेवक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं जो मंदिर प्रशासन द्वारा किए गए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण से स्पष्ट है। देवताओं की सेवा पूजा करने के लिए चुने जाने वालों को अच्छा पारिश्रमिक दिया जाएगा ताकि उन्हें रखरखाव में कोई कठिनाई न हो। स्वयं और उनका परिवार उचित सभ्य तरीके से।

विद्वान न्यायमित्र ने अपनी रिपोर्ट में आवश्यकता के अनुसार सेवकों की संख्या कम करने का सुझाव दिया है ताकि प्रत्येक सेवक को सेवा के लिए कुछ समय मिल सके और उसके बाद परिवार के रखरखाव और रखरखाव और उनकी आजीविका के लिए कुछ पुरस्कर मिल सकें। दूसरों को काम करने के लिए एक सुनहरा हाथ मिलाया जाए प्रशासन और निजोग के बीच। विद्वान न्यायमित्र ने सेवकों की एक आरक्षित सूची रखने का भी सुझाव दिया है ताकि किसी भी सेवक के अभाव में अनुष्ठान और अनुष्ठान किसी भी तरह से प्रभावित न हों।

कि, उन सेवकों को बाहर करने पर विचार किया जा सकता है जो आपराधिक गतिविधि में शामिल हैं और मंदिर पर जबरन कब्जा कर रहे हैं

सेवकों की आवश्यक संख्या का चयन करते समय भूमि। इसके अलावा सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु तय की जा सकती है।

((ii) सेवक द्वारा अन्नदान अतिका से धन एकत्र करने पर प्रतिबंध। प्रसाद प्राप्त करने के लिए सेवकों द्वारा थाली और घड़ा रखने पर प्रतिबंधः

जहां तक सेवकों द्वारा अन्नदान अतिका से धन एकत्र करने के निषेध का संबंध है, प्रबंध समिति ने मृणालिनी पधी बनाम को बंद करने का संकल्प लिया है।

भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

मंदिर परिसर के अंदर विभिन्न सेवक निजोगों द्वारा संचालित अन्नदान अटिका कार्यालय। यह तय किया गया है कि मंदिर

प्रशासन इन कार्यालयों को अपने कब्जे में ले लेगा और भक्तों से सीधे अन्नंदन अतिका का धन एकत्र करेगा। हालाँकि अन्नदान अटिका प्रणाली को उक्त अधिनियम के तहत प्रबंध समिति द्वारा बनाए गए उचित विनियमन द्वारा विनियमित किया जाएगा ताकि भक्त/तीर्थयात्रियों की पूरी संतुष्टि के लिए इस प्रथा का निष्पक्ष और उचित संचालन सुनिश्चित किया जा सके। यह विनियमन सेवकों द्वारा की जाने वाली पारंपरिक यात्री पांडा सेवा के सुचारू संचालन को भी उचित रूप से विनियमित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी भक्त-तीर्थयात्री को किसी भी तरह के उत्पीड़न या असुविधा का सामना न करना पड़े। यात्री पांडा तीर्थयात्रियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में सेवा करते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा विशिष्ट नियमों और शर्तों के तहत मंदिर परिसर को मार्गदर्शक के रूप में काम करने का लाइसेंस दिया जाएगा।

मंदिर प्रशासन द्वारा अतिका धन का संग्रह और इसके लिए तीर्थयात्रियों को शोषण से बचाने के लिए उचित उपयोग। एक मसौदा विनियमन तैयार किया गया है और यह सक्रिय है।

विचार करें।

सेवकों द्वारा थाली और घड़ा रखने पर प्रतिबंध के संबंध में थाली और पिचरों को अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए दान बक्से में रखने के लिए प्रसाद प्राप्त करने पर विचार किया गया है।

प्रसाद चढ़ाने के लिए भक्तों के लिए उपयुक्त स्थान।

(III) मंदिर प्रबंधन रोसाघर और चुली (चूल्हा) का नियंत्रण लेगा।

इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि रोजा-घर (मंदिर की रसोई) के भीतर 240 चूली (भोग पकाने के लिए पारंपरिक चूल्हे) हैं। 8 चूली 'कोठा-भोग' (जिसे आरओआर के अनुसार सेवकों के बीच वितरित किया जाता है) की तैयारी के लिए समर्पित हैं; जिसका खर्च मंदिर प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है। शेष 232 चूली का उपयोग सुपाकर (पारंपरिक) द्वारा किया जाता है।

"बरडी-भोग" (भक्तों को बेचने के लिए भोग) तैयार करने के लिए मंदिर के रसोइये और संबंधित सुपाकर इस संबंध में खर्च वहन करते हैं। प्रबंध समिति ने निर्णय लिया है कि उक्त 232 चूली को विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर वार्षिक लाइसेंस के आधार पर सुपाकरों को दिया जाएगा। [2019] 16 एस. सी. आर. के तहत एक उपयुक्त विनियमन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त अधिनियम रोजा-घर के साथ-साथ आनंद बाजार (जहां भक्तों को महाप्रसाद बेचा जाता है) में सभी गतिविधियों को व्यापक रूप से विनियमित करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि भोग की स्वच्छ और उचित तैयारी और भक्तों को उचित दरों पर व्यवस्थित, संगठित और स्वच्छ तरीके से इसकी बिक्री सुनिश्चित की जा सके।

आनंद-बाजार। स्वार महासुआर निजोग के परामर्श से महाप्रसाद की दर तय करने के लिए कदम उठाए गए हैं और दर चार्ट आनंद बाजार के भीतर प्रदर्शित किया जाएगा। महाप्रसाद के खरीदारों की शिकायतों को दूर करने के लिए आनंद बाजार के भीतर एक नियंत्रण कक्ष खोला जाएगा। एक अलग स्थान की पहचान की जाएगी। और "बरादी भोग" (भक्त के आदेश पर तैयार किया गया भोग) के भंडारण और प्रेषण के लिए चुना गया।

विद्वान न्यायमित्र ने आंगन बनाने का सुझाव दिया है

रोशाघर के पास जहां सब्जियों को काटा जाता है और भोग की तैयारी के लिए मसालों को पीसकर अधिक स्वच्छ बनाया जाता है। इस संबंध में मंदिर प्रशासन ने उक्त प्रांगण में खड़ी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं का पुनर्निर्माण करने और ए. एस. आई. के परामर्श से पत्थरों को बदलकर प्रांगण के फर्श की मरम्मत करने का निर्णय लिया है।

(IV) जनता के पुरुष और महिला सदस्यों और सेवकों के लिए अलग-अलग शौचालयों का प्रावधानः

कि, सेवकों द्वारा उपयोग के लिए मंदिर के पश्चिम द्वार के बाहर एक शौचालय का निर्माण किया गया है और तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग के लिए मंदिर के दक्षिण द्वार के बाहर एक अन्य शौचालय का निर्माण किया गया है। एक समिति का गठन किया गया जिसमें कलेक्टर, पुरी, एस. पी., पुरी और प्रशासक (विकास), श्री शामिल थे।

जगन्नाथ मंदिर, पुरी पुरुष और महिला तीर्थयात्रियों के लिए अलग-अलग शौचालयों के निर्माण के लिए "मेघनाद" प्राचीरी की बाहरी परिधि में अन्य उपयुक्त स्थानों की पहचान करेगा। भूमि की पहचान के बाद, मंदिर के पश्चिम द्वार के पास एक स्थान पर पुरुष, महिला और विकलांग व्यक्ति के लिए शौचालय ब्लॉक बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(V) परेशानी मुक्त दर्शन के लिए कतार व्यवस्थाः

जहाँ तक परेशानी मुक्त दर्शन के लिए कतार प्रणाली का संबंध है, वह है मृणालिनी पधी बनाम।

प्रस्तुत किया कि कतार प्रणाली 1 अक्टूबर, 2018 से प्रायोगिक रूप से शुरू की गई है। अन्य तीन द्वारों के माध्यम से लायन गेट निकास के माध्यम से भक्तों के प्रवेश की व्यवस्था की गई है। भक्तों को 'साता पहाड़ा' (उत्तरी तरफ) के माध्यम से मुख्य मंदिर समूह में जाने और 'बहेरान द्वार' से बाहर निकलने की अनुमति दी जा रही है। चूँकि यह एक बहुत पुराना मंदिर और सीमित स्थान है और इसमें कई अनुष्ठान हैं जिन्हें बिना किसी अनुष्ठान के किए जाने की आवश्यकता होती है।

बाधाएं, साता पहाड़ा से कोई स्थायी अवरोधक नहीं

भक्तों को कतार में जाने की अनुमति देने के लिए बहेरन द्वार स्थापित किया जा सकता है। हालांकि, अतिरिक्त तैनाती के लिए कदम उठाए जाएंगे।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि परेशानी मुक्त दर्शन के लिए भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा देवताओं की विशेष व्यवस्था की जा रही है। दिव्यांग व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करेंगे।

उत्तरी द्वार के माध्यम से, और 'बहरा कथा' (जय बिजय द्वार के पास नट मंडप के अंदर) से देवता के दर्शन होंगे। इसके लिए रैंप का निर्माण किया जा रहा है।

हुंडियों से संग्रह की निगरानी के संबंध में और यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंदिर परिसर के भीतर स्थित मंदिर के शाखा कार्यालय में सेवकों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्दिष्ट मंदिर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हुंडी से संग्रह और दान बक्से की गिनती की जा रही है। गणना प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी के लिए, मंदिर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी किए जाने वाले गणना स्थल पर पांच क्लोज-सर्किट कैमरे लगाए गए हैं और गणना प्रक्रिया को उक्त शाखा के बाहर स्थापित एक बड़े एल. ई. डी. मॉनिटर के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाता है।

कार्यालय।

(VII) महालेखाकार द्वारा मंदिर निधि का लेखापरीक्षाः

महालेखाकार द्वारा मंदिर निधि के लेखापरीक्षा के संबंध में,

यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्री जगन्नाथ मंदिर लेखा परीक्षा नियम, 1968 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अनुसार, श्री जगन्नाथ मंदिर खातों का लेखा परीक्षा स्थानीय कोष द्वारा किया जा रहा है। समय-समय पर ओडिशा सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक। प्रबंध समिति इसके अलावा एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की नियुक्ति करती है।

आंतरिक लेखा परीक्षा और [2019] 16 एस. सी. आर. के विशेष लेखा परीक्षा के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। चालू वित्त वर्ष से ऑनलाइन खाता प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। (VIII) और (IX) मंदिर कार्यालय में पंजीकृत होने वाले सेवकों और कर्मचारियों और मार्गदर्शकों के लिए पहचान पत्रः

सेवकों और कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र जारी करने के संबंध में और गाइडों का पंजीकरण, यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्मार्ट चिप्स के साथ बहु रंगीन पहचान पत्र मंदिर द्वारा जारी किए जाएंगे

मंदिर के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासन।

इसके अलावा, सभी सेवकों, वंशानुगत यात्री-पांडाओं के एजेंटों, सेवक-निजोगों के कर्मचारियों सहित रोजा-घर और आनंद-बाजार (जैसे, कुलियों और रसोई सहायकों, अर्थात्, ट्यूनिया, जोगनिया आदि) को भी पहचान पत्र प्रदान किए जाएंगे। नए पहचान पत्रों की शुरुआत के साथ पहले जारी किए गए सभी पहचान पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

(एक्स) अधिक कर्मचारियों की कमीः

इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि मंदिर के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संरचना तैयार करने के लिए एक पेशेवर एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा। यहां यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में मंदिर प्रशासन के कर्मचारियों की संख्या 547 है जो भारत के अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों में कर्मचारियों की संख्या से काफी कम है। दूसरी ओर, किसी भी सामान्य दिन पुरी मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या भारत के अन्य मंदिरों की तुलना में बहुत अधिक है। त्यौहार पर

कई बार मंदिर में आने वालों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है।

(11) मंदिर परिसर में सुरक्षा प्रबंधन के लिए एकल प्राधिकरणः

सरकार से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद के एक अधिकारी को नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था जो मंदिर का प्रशासक (सुरक्षा) होगा और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित सिंहद्वार पुलिस स्टेशन का प्रभार भी संभालेगा। तदनुसार राज्य सरकार। एडिशनल को नियुक्त किया है। एस. पी. पुरी प्रभारी प्रशासक (सुरक्षा) श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी।

मृणालिनी पाधी बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

अधिसूचना की प्रति dtd.5.02। 19 यहाँ संलग्न किया गया है और

अनुलग्नक के रूप में चिह्नित किया गयाः पेपर बुक का आर 3/-) (12) श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन,

1955 :

श्री जगन्नाथ में संशोधन के लिए सुझावों के संबंध में

मंदिर अधिनियम, 1955, एक मसौदा संशोधन तैयार किया जा रहा है जिसे मंदिर प्रबंधन समिति और राज्य के समक्ष रखा जाएगा।

सरकार. आवश्यक आदेशों के लिए।

41. जिला न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट के साथ यह भी दाखिल किया है

जाँच आयोग की रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण श्री बी. डी. शर्मा, पूर्व राज्यपाल, उड़ीसा द्वारा अनुलग्नक-के के रूप में और श्री न्यायमूर्ति बी. के. पात्रा, पूर्व न्यायाधीश, उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा

संलग्नक-एल। श्री जगन्नाथ मंदिर के मामलों में जांच आयोग की दिनांकित 20.4.2017 की अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को भी अनुलग्नक-एन के रूप में दाखिल किया गया है। हमने श्री रंजीत कुमार, न्यायमित्र और सुश्री प्रिया हिंगोरानी, विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ महालेखाकार, उड़ीसा की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य और स्वामी निश्चलानंद द्वारा दिए गए सुझावों सहित प्रस्तुत की गई विभिन्न रिपोर्टों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। सरस्वती; और मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा दायर प्रतिक्रिया।

42. यह स्पष्ट है कि मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा विभिन्न पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए और विचार किया जाना चाहिए। सरकारी भूमिका आती है, सरकार को सभी हितधारकों को विश्वास में लेने के बाद आवश्यक कार्य करना पड़ता है। निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिएः

(i) हम उस घटना के बारे में बहुत चिंतित और चिंतित हैं, जो मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा इंगित की गई थी, जिसमें एक भितार-चू सेवक, जिसे दैनिक पूजा/नितियों के लिए सुबह 4:30 बजे सैंक्टम संतोरम का दरवाजा खोलने का काम सौंपा गया था, ने नहीं खोला।

पुरी शहर के पुलिस प्रशासन के साथ उनके व्यक्तिगत मुद्दों के आधार पर शाम 4:30 बजे दरवाजा खोला गया। यह अक्षम्य है। किसी को भी देवता की पूजा और अनुष्ठानों में बाधा डालने का अधिकार नहीं है और हर दिन लगभग 60,000 लोग मंदिर में आते हैं। मंदिर [2019] 16 एस. सी. आर. के उद्घाटन में देरी करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है।

एक मिनट के लिए भी। उपरोक्त घटना से पूरी तरह से कुशासन और अराजकता फैल गई। कोई अनुशासनात्मक नियंत्रण उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में, हमें मुख्य प्रशासक को अधिकृत करना होगा मंदिर, कुछ समय के लिए, ऐसे सेवकों/सत्ताधारियों के खिलाफ उचित कदम उठाने के लिए, जो निर्माण करते हैं

सेवा/पूजा/नीति में बाधा और मंदिर प्रशासन के कर्मचारियों या भक्तों के साथ दुर्व्यवहार और कदाचार में शामिल हैं और वह इसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित कर सकते हैं।

अनुशासनहीनता। श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य ने व्यक्त किया है

उन नितियों/अनुष्ठानों के बारे में गंभीर चिंता जो प्रतिदिन किए जाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह देवताओं का अपमान होगा। कौन से अनुष्ठान किए जाने हैं, यह अदालत को तय नहीं करना है, लेकिन जब देवताओं के कारण मंदिर मौजूद है, तो गोवर्धन के श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा मनाए गए पारंपरिक रूप में नितियों, पूजा और अनुष्ठानों का पालन न करने से देवताओं की उपेक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मठ, पुरी ने अपने सुझावों में ब्रह्मा में निर्धारित पारंपरिक अनुष्ठानों के अनुसार नितियाँ की जानी हैं।

संहिता और विमर्ष, जो श्री से संबंधित अभिषेक, पूजा और विभिन्न त्योहारों का उल्लेख करते हैं जगन्नाथ मंदिर। मंदिर प्रबंधन समिति को श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य और पूर्व शासक गजपति सहित अन्य हितधारकों को आमंत्रित करने दें और यह सुनिश्चित करने दें कि नियत तिथि, पूजा और अनुष्ठान किए जाएं। वे बिना किसी रोक-टोक और बाधा के हर दिन नियमित रूप से समय पर किए जाते हैं।

साथ ही, हम मंदिर प्रबंधन समिति से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य के सुझाव के अनुसार और अधिकारों के अभिलेख के अनुसार, प्रत्येक दिन नित्य और पूजा की जाए। मंदिर प्रबंधन समिति सबसे अच्छी है।

एक ही सुनिश्चित करने के लिए मास्टर। मंदिर प्रबंधन समिति को यह सुनिश्चित और पर्यवेक्षण करने दें कि नित्य और अनुष्ठान नियमित रूप से किए जाते हैं।

लिनी पाधी बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

सेवकों के बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है। हम मंदिर प्रबंधन समिति को निर्देश देते हैं कि सेवकों के बच्चों को उनकी उचित शिक्षा के लिए स्कूल के लिए उपयुक्त स्थान आवंटित किया जाए जो आवश्यक समझा जाए। स्कूल को दूसरों की जरूरतों को भी पूरा करना चाहिए। जनता के सदस्य, और विशेष रूप से ऐसे सेवकों के बच्चों के लिए नहीं। 5 करोड़ रुपये की लागत लगाई गई

2016 के सी. ए. सं. 4914 में कलिंग आयुर्विज्ञान संस्थान (के. आई. एम. एस.), जो ब्याज के साथ इस न्यायालय में जमा है, का उपयोग स्थापना के उद्देश्य से किया जाएगा।

विद्यालय और उसका बुनियादी ढांचा। राज्य के मुख्य वास्तुकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंदिर प्रबंधन समिति की मदद से उचित योजना तैयार की जाए और

यह न्यायालय। श्री जगन्नाथ मंदिर से संबंधित राज्य के भीतर और बाहर विशाल अचल संपत्तियां हैं। विद्वान न्यायमित्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 60,418 एकड़ भूमि मंदिर की है और अब तक 34200.976 एकड़ के लिए अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है। जहां तक संभव हो, अधिकारों के शेष अभिलेख को 6 महीने के भीतर तैयार किया जाए और इसे इस न्यायालय के समक्ष रखा जाए। दूसरों के बारे में

राज्य के भीतर और बाहर अचल संपत्तियों की सूची तैयार की जाए और विवरण प्रस्तुत किया जाए कि उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है और यह भी कि आय कितनी है। उनसे उत्पन्न।

विद्वान न्यायमित्र ने रिपोर्ट में कहा है कि मंदिर की कई खदानें और खदानें हैं, जो बिना भुगतान के चल रही हैं। खदानों और खदानों की एक सूची तैयार की जाए कि उनका प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, कौन उनका संचालन कर रहा है, किस आधार पर और किस आधार पर।

उनसे मंदिर की आय है और

बकाया राशि। खदानों और खानों की सूची तैयार की जाए और अन्य विवरणों के साथ नामों के साथ उत्पन्न आय/बकाया राशि का भुगतान किया जाए। वर्तमान में मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए कोई उचित आवास उपलब्ध नहीं है।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल श्री बी. डी. शर्मा की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि प्रदान करने की आवश्यकता थी 60, 000 तीर्थयात्रियों को आवास। के संबंध में

न केवल मंदिर प्रशासन, बल्कि सरकार भी मानवता को आश्रय प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्य कर सकती है, जो आवश्यक है। जब लोगों की एक विशाल भीड़ होती है, तो कल्याण, कानून और व्यवस्था, स्वच्छता सुनिश्चित करना और उचित सुविधाएं और स्वच्छता प्रदान करना सरकार का कर्तव्य बन जाता है

सुविधाएं। इसलिए राज्य सरकार को इस संबंध में कार्य करने और एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। मंदिर प्रशासन को तीर्थयात्रियों को आश्रय स्थान और सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस संबंध में सरकार के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया है।

मंदिर प्रशासन और सरकार के लिए क्योंकि यह यह सुनिश्चित करने के लिए मंदिर को अनुदान प्रदान करता है कि सेवक हैं ठीक से देखभाल की। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि तीर्थयात्रियों को परेशान न किया जाए।

दान और दान प्राप्त करना उचित है

हिसाब लगाया। यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब पारिश्रमिक और स्वास्थ्य कल्याण सहित सेवकों की उचित देखभाल की जाए। इसी तरह, उत्पीड़न को रोकने के लिए गलती करने वालों को दंडित करने के लिए उपयुक्त और त्वरित तंत्र के साथ सख्त नियंत्रण और अनुशासन स्थापित किया जाना चाहिए।

सेवा/पूजा के उप-अनुमति के प्रति सम्मान। करार करते हुए सेवा/पूजा अनुचित है और मंदिर प्रबंधन समिति को इस संबंध में कदम उठाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि सेवा/पूजा उस व्यक्ति द्वारा की जाए जिसे यह सौंपा गया है।

लिनी पाधी बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

रोसाघर में स्वच्छता के संबंध में विभिन्न रिपोर्टों में चिंता व्यक्त की गई है। हम निर्देश देते हैं कि मंदिर प्रशासन हर कीमत पर रोसाघर में स्वच्छता बनाए रखेगा। रोसाघर की स्वच्छता अपरिहार्य है क्योंकि देवता के लिए भोग भी तैयार किया जाता है। जगह साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए खाना पकाने के लिए उचित साधनों का उपयोग करने सहित सभी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

आदि।

विद्वान न्यायमित्र द्वारा यह भी बताया गया था कि कुछ प्रारंभिक तैयारी खुले क्षेत्र में की जाती हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। यदि भोजन की तैयारी खुले क्षेत्र में की जाती है, तो जाहिर है कि यह दूषित होना तय है। भोजन की तैयारी

इसे स्थायी रूप से ढके हुए क्षेत्र में पूरी तरह से स्वच्छ स्थिति में किया जाना चाहिए। एएसआई शेड/स्थायी संरचनाओं के निर्माण की योजना को तुरंत मंजूरी देगा जो बिल्कुल आवश्यक है।

रिपोर्टों में बताया गया है कि आनंद बाजार में बिकने वाला प्रसाद भी स्वच्छ तरीके से नहीं बेचा जाता है। ऐसे स्थानों को सुधारने और स्वच्छ बनाने के लिए, प्रसादम को फ्लाई प्रूफ पात्रों में रखा जाना चाहिए और इसे उचित दरों पर बेचा जाना चाहिए, जिसे मंदिर द्वारा तय किया जाना चाहिए।

सेवकों और कर्मचारियों के लिए, जो मंदिर प्रशासन के हित में है। सेवकों और कर्मचारियों को आई-कार्ड दिए जाने चाहिए ताकि बेईमान व्यक्ति खुद को सेवकों या कर्मचारियों के रूप में पेश न कर सकें। सदस्यों और लोगों को गलत पहचान के आधार पर गुमराह नहीं किया जाता है।

श्री बी. डी. शर्मा, पूर्व राज्यपाल, उड़ीसा की रिपोर्ट में एक डेयरी फार्म की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया है। मंदिर के लिए डेयरी फार्म होना आदर्श होगा। मंदिर प्रबंधन समिति को डेयरी फार्म खोलने के संबंध में अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में इसी पर विचार करने दें।

आर. ई. एम. ई. कोर्ट रिपोर्ट

प्रबंध समिति की प्रतिक्रिया से ऐसा प्रतीत होता है कि उचित होने के संबंध में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा दर्शन। वास्तव में, कोई हंगामा और अराजकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मंदिर आ रहे हैं। व्यवस्थित तरीके से उचित दर्शन प्रदान करना एक पवित्र कर्तव्य है।

और वृद्धों, दुर्बलों और बच्चों की देखभाल करना। यह विशेषज्ञों को सुझाव देना है कि मंदिर में किए जाने वाले अनुष्ठानों और इसके लिए आवश्यक मार्ग में बाधा उत्पन्न किए बिना कौन सी प्रणाली तैयार की जा सकती है और उसके बाद मंदिर प्रबंधन समिति और प्रशासन को इस पर विचार करना होगा। हम मंदिर प्रशासन और राज्य सहित मुख्य प्रशासक को निर्देश देते हैं

सरकार भक्तों द्वारा उचित दर्शन करने के लिए विशेषज्ञों की मदद से एक रोडमैप तैयार करेगी

तीर्थयात्रियों और इसे प्रभावी ढंग से लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई हंगामा न हो ताकि हर कोई बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक दर्शन कर सके

कोई भी।

रिपोर्ट में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, गहने छीनने आदि से संबंधित कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है। गर्भगृह-संतोरम और आसपास स्थित अन्य मंदिरों में ऐसी किसी भी घटना के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी घटनाएँ होती हैं

ऐसा होने पर, इससे पूरी गंभीरता से दृढ़ता से निपटा जाना चाहिए और ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गैरकानूनी तत्व ऐसा करने के लिए जिम्मेदार हैं

इस तरह के कृत्यों को हर कीमत पर परिसर से बाहर निकालना होगा। हम मंदिर प्रशासन और मंदिर पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि मंदिर के अंदर सुरक्षा कड़ी करने के लिए कर्मियों का एक समर्पित वर्ग हो और केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंदिरों में ऐसी कोई घटना न हो और महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। इस तरह के कृत्यों में शामिल लोगों को भगवान में भी विश्वास करने वाला नहीं कहा जा सकता है। जब ऐसा कोई कार्य किया जाता है मंदिर में, यह श्री जगन्नाथ और संस्कृति का बहुत अनादर है। मंदिरों में इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। मंदिर के अधिकारियों और पुलिस को ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

लिनी पाधी बनाम। भारत और अन्य का संघ [अरुण मिश्रा, जे.]

मंदिर की कीमती वस्तुओं के संबंध में, मंदिर प्रबंधन को इस न्यायालय के समक्ष रखने दें, किस तरह का

इन्वेंट्री तैयार की है? यह कैसे सुरक्षित करने का प्रस्ताव करता है

मंदिर की कीमती वस्तुएँ और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए आभूषण?

विद्वान न्यायमित्र ने यह भी बताया है कि एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है जो क्षेत्र को भक्तों के लिए स्वच्छ और स्वच्छ रखने की आवश्यकताओं में से एक है। राज्य सरकार भी इसमें पैसा खर्च कर सकती है।

मान लें, क्योंकि यह एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है। उचित अपशिष्ट उपचार संयंत्र और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जाए। मंदिर द्वारा विशेषज्ञों की मदद से

विद्वान न्यायमित्र ने यह भी बताया है कि पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालयों की आवश्यकता है। हम निर्देश देते हैं कि शौचालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए और उन्हें पूरी तरह से साफ रखा जाए। शौचालयों की संख्या मंदिर में औसत भीड़ को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त होगी, जो संख्या में बड़ी है।

क्लोक कमरों के बारे में एक आवश्यकता बताई गई है। मंदिर प्रशासन को इसमें कदम उठाने दें।

ध्यान दें। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, मोटरसाइकिल स्टैंड की आवश्यकता है। प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएं

मोटरसाइकिल 4 महीने की अवधि के भीतर खड़ी हो जाती है, न केवल सेवकों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो अपने वाहन से मंदिर जा रहे हैं और यह स्थानीय प्रशासन का काम है कि वह ऐसे लोगों के लिए उचित जगह तैयार करे।

उद्देश्य। क्योंकि विभिन्न रिपोर्टें हैं जो समय-समय पर विभिन्न सुझावों के साथ प्रस्तुत की गई हैं। इन रिपोर्टों में बताए गए सुझावों के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, इस पर भी मंदिर प्रबंधन द्वारा पहली बार में विचार किया जाएगा और

राज्य [2019] 16 एस. सी. आर. जैसे अन्य हितधारकों द्वारा जो कुछ भी किया जाता है।

संबंधित हितधारकों द्वारा सरकार और अन्य पर भी विचार किया जाना चाहिए। यदि उन्होंने कोई लिया है

कार्रवाई, इस न्यायालय को भी रिपोर्ट करें।

(xxiii) समग्र स्थिति और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम राज्य सरकार को पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश देते हैं, न कि तत्काल अतिरिक्त प्रभार के रूप में।

सकारात्मक विकासों में से एक ई की शुरुआत है।

उपलब्ध कराई गई जानकारी। रिपोर्टों से ऐसा प्रतीत होता है कि महत्व के विभिन्न मंदिर और दर्शन करने की विभिन्न प्रणालियाँ। वेबसाइट पर ऐसी जानकारी देना मंदिर समिति का काम है। हम अपनी सराहना दर्ज करते हैं कि सभी हितधारक राज्य सरकार के कहने पर हो रहे विकास से खुश हैं और वे भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर की महिमा की बहाली में एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। हम एएसआई को भी सहयोग करने और सुधार की गतिविधियों की अनुमति देने का निर्देश देते हैं जो प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक नहीं हैं और सार्वजनिक स्वच्छता, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुविधाओं के उन्नयन के लिए आवश्यक हैं और साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि नई संरचना का रूप उसी तरह बनाए रखा जाए जैसे प्राचीन था।

मंदिर प्रबंधन समिति को विभिन्न अन्य बातों पर विचार करने दें।

सुधार के लिए सकारात्मक पहलू और राज्य सरकार सहित सभी हितधारकों को आमंत्रित करें, जिनका सहयोग अनुमेय में आवश्यक है। विभिन्न विकास गतिविधियों में वित्त का ध्यान रखना। मंदिर प्रबंधन समिति को कदम उठाने होते हैं क्योंकि यह आस्था का एकमात्र भंडार है। प्रगति रिपोर्ट और लिए गए निर्णयों को आठ सप्ताह के भीतर इस न्यायालय में कार्रवाई रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

8 जनवरी, 2020 को मामले को सूचीबद्ध करें।

कल्पना के. त्रिपाठी

नि

र्देश जारी किए गए।